BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 1350 of 2024

Naresh Kumar ... Appellant

Versus

State of Uttarakhand ... Respondent

I N D E X

S.No.	Particulars	Pages
1.	Factual report on behalf of the Uttarakhanad Pollution Control Board	
2.	Annexure 1 A copy of the letter dated 10.01.2025	
3.	Annexure 2 A copy of the order date 08.01.2025	
4.	Annexure 3 A copy of the letter dated 27.01.2025 along with report dated 16.01.2025	

Filed by

[MUKESH VERMA]
Advocate for the applicant
Ch. No. 50, Old Block
Supreme Court of India,
New Delhi 110 001
(M) 9810108098
E-mail: mvermadv@gmail.com

New Delhi
Dated: 28.01.2025

Factual Report on behalf of Uttarakhand Pollution Control Board

In matter of

Original Application No. 1350 of 2024

Naresh Kumar

v.

State of Uttarakhand

1. That the above-mentioned matter was listed for hearing on 17.12.2024 wherein the Hon'ble National Green Tribunal was pleased to issue the following directions:

"....

4. In view of the averments in the application, we consider it appropriate to have response of (i) State of Uttarakhand through Principal Secretary Environment and Forest; (ii) PCCF (HOFF), Uttarakhand; (iii) District Magistrate, Haridwar; (iv) District Horticulture Officer, Haridwar; (v) Uttarakhand Pollution Control Board (UKPCB), (vi) Sahara India Ltd. Village Bahadrabad, Tehsil and District, Haridwar, (vii) Chirayu Estate, Village Bahadrabad, Tehsil and District, Haridwar (viii) Deepika Tyagi resident of 01, Mayur Vihar Colony, Arya Nagar, Jwalapur, Tehsil and District Haridwar, Uttarakhand, (ix) Abhishek Tyagi, resident of 01, Mayur Vihar Colony, Arya Nagar, Jwalapur, Tehsil and District Haridwar, Uttarakhand who stand impleaded as respondents No. 1 to 9.

....”

2. That in compliance with aforesaid directions of this Hon’ble Tribunal, UKPCB vide letter no. UKPCB/HO/S-183-845/2025/1514 dated 10.01.2025 directed RO, UKPCB to comply with the directions of the Hon’ble Tribunal. In this connection, a copy of the letter dated 10.01.2025 is being marked and filed as **Annexure No. 01.**

3. Subsequently DM, Haridwar constituted a Joint Committee on 08.01.2025 including RO, Roorkee. In this connection, a copy of the order dated 08.01.2025 is being marked and filed as **Annexure No. 02.**

4. That in compliance with the afore-mentioned order, the Regional Officer, UKPCB vide letter no. UKPCB/R.O.R /S.No.147 (75)/2025/1525 dated 27.01.2025 provided a report based upon inspection dated 16.01.2025 to the Member Secretary, UKPCB. In this connection, a copy of the letter dated 27.01.2025 along with the report dated 16.01.2025 is being marked and filed as **Annexure No. 03.**

5. Further action will be taken as per the Law.

The above report is being presented for the consideration of Hon’ble NGT.

(Dr. Parag Madhukar Dhakate)
Member Secretary
Uttarakhand Pollution Control Board

मुख्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून
E-mail : ukpcblegalcell@gmail.com, दूरभाष : 0135-2607092

पत्रांक : यूकेपीसीबी / एच.ओ. / सा0–183–845 / 2025 / 1514, दिनांक 10.01.2025

एन0जी0टी0 मैटर

ई–मेल / स्पीड पोस्ट द्वारा

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
क्षेत्रीय कार्यालय,
सिंचाई परिकल्प भवन परिसर, रूड़की।

विषयः– मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन सं0 1350 / 2024 नरेश कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या 1350 / 2024 नरेश कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 17.12.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करना चाहें। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रतिवादी सं0 5 नामित किया गया है। मा0 एन0जी0टी0 में Reply/Response दाखिल किया जाना है। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश एवं आवेदक के आवेदन की छायाप्रति इस आश्य के साथ प्रेषित की मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिये गये आदेशों का अनुपालन करते हुए आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। प्रकरण पर अगली सुनवाई दिनांक 29.01.2025 को नियत है।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय

(डा0 पराग मधुकर धकाते)
सदस्य सचिव

Uttarakhand Pollution Control Board
Diary No. 8873
Date 09/1/25

आदेश

मा0 एन0जी0टी0 में योजित Original Application No. 1350/2024 Naresh Kumar Applicant Versus State of Uttarakhand Respondent में पारित आदेश दिनांक 17.12.2024 के अनुपालन के संबंध में है। प्रश्नगत प्रकरण में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक 17.12.2024 को निम्नवत् आदेश पारित किया गया हैः–

1.Bharat Mata Abhinandan Sangathan, Bahadrabad, Tehsil and District, Haridwar, Uttarakhand has sent letter petition dated 19.10.2024 to this Tribunal which, under the orders of Hon'ble Chairperson, has been treated and registered as original application under the provisions of the National Green Tribunal Act, 2010.

2.The Applicant has submitted that builders-Deepika Tyagi and Abhishek Tyagi in collusion with Sahara India Ltd./Chirayu Estate converted agricultural land measuring 600 bigha for colonization. Above said persons had spread chemical on 200 mangoes and other trees standing in land measuring 150 bighas and cut the trees for colonization of the above said land. Complaint was made to the Chief Secretary, D.G.P., PCCF, CCF, Government of Uttarakhand and Chief Horticulture Officer and SSP, Haridwar but no action has been taken on the same. Above said persons spread chemical on 2000 trees on 29.09.2024 and illegally cut 200 trees on 11.10.2024 at about 10 P.M. and are preparing to cut remaining trees. Persons who complained about illegal cutting of trees were illegally arrested by the police.

3.Prima facie, the averments made in the application raise questions relating to environment arising out of the implementation of the enactments specified in Schedule I to the National Green Tribunal Act, 2010.

4.In view of the averments in the application, we consider it appropriate to have response of (i) State of Uttarakhand through Principal Secretary Environment and Forest; (ii) PCCF (HOFF), Uttarakhand; (iii) District Magistrate, Haridwar; (iv) District Horticulture Officer, Haridwar; (v) Uttarakhand Pollution Control Board (UKPCB), (vi) Sahara India Ltd. Village Bahadrabad, Tehsil and District, Haridwar, (vii) Chirayu Estate, Village Bahadrabad, Tehsil and District, Haridwar (viii) Deepika Tyagi resident of 01, Mayur Vihar Colony, Arya Nagar, Jwalapur, Tehsil and District Haridwar, Uttarakhand, (ix) Abhishek Tyagi, resident of 01, Mayur Vihar Colony, Arya Nagar, Jwalapur, Tehsil and District Haridwar, Uttarakhand who stand impleaded as respondents No. 1 to 9.

5.The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application and issue notices to respondents No. 1 to 9 requiring them to file their reply/response at least one week before the next date of hearing fixed.

6.Notices be served on respondents no. 6 to 9- Sahra India Ltd., Chirayu Estate, Deepika Tyagi and Abhishek Tyagi through the District Magistrate, Haridwar and for this purpose notices issued to respondents no. 6 to 9- Sahra India Ltd., Chirayu Estate, Deepika Tyagi and Abhishek Tyagi be sent to the District Magistrate, Haridwar by E-mail for taking print out and getting service of the same effected on them and sending his report in this regard within 15 days.

7.List for further consideration on 29.01.2025.

8. A copy of this order be also sent to the District Magistrate, Haridwar by email for requisite compliance.

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.12.2024 में दिये गये निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन एवं वांछित रिपोर्ट समयान्तर्गत प्रेषित करने के निर्देश दिये गये हैं, जिस हेतु अद्योहस्ताक्षरी की ओर से उप जिलाधिकारी, हरिद्वार की अध्यक्षता में निम्नवत् जांच समिति का गठन किया जाता है:–

1–	उप जिलाधिकारी, हरिद्वार।	–	अध्यक्ष
2–	मुख्य उद्यान अधिकारी, हरिद्वार।	–	सदस्य
3–	क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रूडकी।	–	सदस्य

प्रश्नगत प्रकरण में अगली सुनवाई हेतु दिनांक 29.01.2025 नियत है। अतः उक्त समिति को निर्देशित किया जाता हैं कि मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.12.2024 के अनुपालन में वांछित आख्या/Action Taken Report एक सप्ताह के भीतर मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल कराना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरी को भी अवगत करायें।

08.01.25

(कर्मेन्द्र सिंह)
जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

कार्यालय जिलाधिकारी हरिद्वार।

पत्रांकः 43/एल0बी0ए0–2025 दिनांकः 08 जनवरी, 2025

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– रजिस्ट्रार जनरल, मा0 एन0जी0टी0 फरीदकोट हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली–110001

2– सदस्य सचिव मुख्यालय उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गौरा देवी पर्यावरण भवन 46 बी, आई0टी0 पार्क सहस्त्रधारा रोड देहरादून।

3– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार।

4– प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, हरिद्वार।

5– उप जिलाधिकारी, हरिद्वार।

6– मुख्य उद्यान अधिकारी, हरिद्वार।

7– क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रूडकी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि समिति के अध्यक्ष से समन्वय स्थापित कर वांछित आख्या/Action Taken Report एक सप्ताह के भीतर मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल कराना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सिंचाई परिकल्प भवन परिसर, रूड़की –247667 हरिद्वार
E-mail: rorueppcb2013@gmail.com

पत्रांक–यूकेपीसीबी/आर0ओ0आर0/सा0–147(75)/2025/1525 दिनांकः27.01.2025

पंजीकृत डाक द्वारा/ई–मेल द्वारा

एन0जी0टी0 मैटर

सेवा में,

सदस्य सचिव महोदय,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
देहरादून।

विषयः– मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन सं0–1350/2024 नरेश कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0–यूकेपीसीबी/एच0ओ0/सा0– 183–845/2025/1514 दिनांक 10.01.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयगत प्रकरण में आख्या चाही गयी है। अवगत होवें कि विषयगत प्रकरण में जिलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा उप जिलाधिकारी, हरिद्वार की अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें क्षेत्रीय अधिकारी, रूड़की भी सदस्य थे। संयुक्त जांच कमेटी द्वारा जांच आख्या जिलाधिकारी, हरिद्वार को प्रेषित् की गयी है। विषयगत प्रकरण मुख्यतः पेड़ों के पातन के सम्बन्ध में है एवं सीधे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित नही है। अतः संयुक्त कमेटी की जांच आख्या अवलोकनार्थ एवं विषयगत प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित् है।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

27.01.2025

(डा0 राजेन्द्र सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

निरीक्षण आख्या

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा मूल आवेदन सं0–1350/2024 नरेश कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 17.12.2024 के अनुपालन में जिलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा जांच समिति की निरीक्षण आख्या।

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा मूल आवेदन सं0–1350/2024 नरेश कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य में दिनांक 17.12.2024 को निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये गये हैं:–

> *"4. In view of the averments in the application, we consider it appropriate to have response of (i) State of Uttarakhand through Principal Secretary Environment and Forest; (ii) PCCF (HOFF), Uttarakhand; (iii) District Magistrate, Haridwar; (iv) District Horticulture Officer, Haridwar' (v) Uttarakhand Pollution Control Board (UKPCB), (vi) Sahara India Ltd. Village Bahadrabad, Tehsil and District Haridwar, (vii) Chairayu Estate, Village Bahadrabad, Tehsil and District, Haridwar (viii) Deepika Tyagi resident of 01, Mayur Vihar Colony, Arya Nagar, Jawalapur, Tehsil and District Haridwar, Uttarakhand (ix) Abhishek Tyagi, resident of 01, Mayur Vihar Colony, Arya nagar, jawalapur, Tehsil and District Haridwar, Uttarakhand who stand impleaded as respondents No. 1 to 9.*
> *5. The registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application and issue notices to respondents No. 1 to 9 requiring them to file their reply/response at least one weeks before the next date of hearing fixed."*

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में जिलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा निम्नानुसार जांच समिति का गठन किया गया:–

1. उपजिलाधिकारी, हरिद्वार– अध्यक्ष।
2. मुख्य उद्यान अधिकारी – सदस्य।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रूड़की – सदस्य।

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में जांच समिति द्वारा दिनांक 16.01.2025 को विषयगत स्थल का निरीक्षण किया गया। उप जिलाधिकारी, हरिद्वार के पत्र दिनांक 09.01.2025 के अनुपालन में तहसील, हरिद्वार द्वारा अपनी आख्या प्रेषित् की गयी। निरीक्षण एवं उपलब्ध अभिलेखों के दृष्टिगत आख्या निम्नवत है:–

विषयगत शिकायती प्रकरण में मुख्यतः निम्नलिखित भूमि धारकों क्रमशः 1. मै0 चिरायु स्टेट एण्ड डेवलपमेंट प्रा0 लि0 एवं अन्य, 2. श्री अभिषेक त्यागी पुत्र श्री सतीश त्यागी, निवासी–मयूर विहार, आर्यनगर, ज्वालापुर, तहसील एवं जिला हरिद्वार एवं 3. श्रीमती दीपिका त्यागी पत्नी श्री मुदित कुमार त्यागी, निवासी–01, निकट सोन्धी नर्सिंग होम, मयूर विहार, आर्यनगर ज्वालापुर, तहसील एवं जिला हरिद्वार से सम्बन्धित है। खाताधारकों के अनुसार विवरण निम्नवत् है:–

1. **मै0 चिरायु स्टेट एण्ड डेवलपमेंट प्रा0 लि0 एवं अन्यः**
   i. उद्वरण खसरा दिनांक 02.05.2022 के अनुसार मै0 चिरायु स्टेट एण्ड डेवलपमेंट प्रा0 लि0 के खसरा न0–286, 319/2, 320 एवं 321 मै0 चिरायु स्टेट एण्ड डेवलपमेंट प्रा0 लि0 से सम्बन्धित है जिसमें खसरा सं0–286 में 18 आम के पेड, खसरा सं0–319/2 में 30 आम

के पेड़, खसरा सं0–320 में पांच आम के पेड़ तथा खसरा सं0–321 में 30 आम के पेड़ दर्ज थे। इस प्रकार उक्त भूमि में कुल–83 आम के पेड़ थे। **(संलग्नक–1)**।

ii. उपरोक्त खसरा नम्बरान के 83 आम के पेड़ों के अवैध कटान के सम्बन्ध में श्री ए0एस0 बिष्ट, निवासी एफ–102, लक्ष्मी पार्क, नागलोई, दिल्ली (अधिकृत प्रतिनिधि) द्वारा दिनांक शून्य को प्रभारी उद्यान सचल दल केन्द्र, बहादराबाद को इस आशय का पत्र प्रेषित किया गया कि मै0 चिरायु स्टेट एण्ड डेवलपमेंट प्रा0 लि0 एवं अन्य की भूमि से ठेकेदार को रोगग्रस्त आम के 2–3 पेड़ हटाने को कहा गया था। किन्तु ठेकेदार द्वारा मेरी अनुपस्थिति में आम के पेड़ों का पातन कर दिया गया। **(संलग्नक–2)**।

iii. प्रभारी उद्यान सचल दल केन्द्र, बहादराबाद द्वारा पत्र में इस आशय कि टिप्पणी की गयी कि प्रकरण में कुल–83 आम के वृक्षों का पातन किया गया है। अतः रू0 5,000 प्रति वृक्ष की दर से रू0 4,15,000/– जमा करने की संस्तुति की गयी। उक्त क्रम में मुख्य उद्यान अधिकारी, हरिद्वार द्वारा अपने पत्र सं0–267/अवैध पातन/2022–23 हरिद्वार दिनांक 06.05.2022 द्वारा श्री ए0एस0 बिष्ट, निवासी एफ–102, लक्ष्मी पार्क, नागलोई, दिल्ली के विरूद्ध 83 वृक्षों के पातन पर रू0 5000 प्रति वृक्ष की दर से रू0 4,15,000/– का अर्थदण्ड आरोपित किया गया। **(संलग्नक–3)**।

iv. श्री ए0एस0 बिष्ट आरोपित अर्थदण्ड की राशि रू0 4,15,000/– दिनांक 06.05.2022 को उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में जमा की गयी। **(संलग्नक–4)**।

v. विषयगत स्थल पर वर्तमान में कोई पेड़ नही पाया गया।

vi. उद्धरण खसरा दिनांक 16.08.2024 के अनुसार मै0 चिरायु स्टेट एण्ड डेवलपमेंट प्रा0 लि0के खसरा सं0–330 में कुल–22 आम के पेड़ दर्ज हैं। श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री राजाराम, निवासी गौरीवाला सिरसा, हरियाणा अधिकृत प्रतिनिधि मै0 चिरायु स्टेट एण्ड डेवलपमेंट प्रा0 लि0 द्वारा दिनांक 09.10.2024 को मुख्य जिला उद्यान अधिकारी, हरिद्वार से 22 आम के पेड़ों को कटवाने की अनुमति चाही गयी। मुख्य उद्यान अधिकारी, हरिद्वार द्वारा अपने पत्र दिनांक 10.12.2024 द्वारा श्री महावीर प्रसाद को 22 आम के पेड़ों के पातन की अनुमति प्रदान की गयी। **(संलग्नक–5)**।

vii. मै0 चिरायु स्टेट एवं अन्य खातेदार के खसरा सं0–341 एवं 370 में आम बाग स्थित है तथा खसरा सं0–316, 317, 342 एवं 364 एवं 365 में वृक्ष अंकित नही हैं। **(संलग्नक–6)**। उद्धरण खसरा दिनांक 02.05.2022 के अनुसार खसरा सं0–318 में वृक्ष नही थें।

2. श्री अभिषेक त्यागी पुत्र श्री सतीश त्यागी, निकट सोन्धी नर्सिंग होम, निवासी–मयूर विहार, आर्यनगर, ज्वालापुर, तहसील एवं जिला हरिद्वारः

i. उद्धरण खसरा दिनांक 16.08.2024 के अनुसार खसरा सं0–325/2 के खातेदार श्री अभिषेक त्यागी के खेत में 60 आम के पेड़ तथा 08 सेमल के पेड़ थे। श्री अभिषेक त्यागी द्वारा दिनांक 21.09.2024 को मुख्य जिला उद्यान अधिकारी, हरिद्वार से खसरा न0–325/2 में लगे 60 आम के पेड़ों को कटवाने की अनुमति चाही गयी। प्रभारी उद्यान सचल दल केन्द्र, बहादराबाद की संस्तुति के क्रम में मुख्य उद्यान अधिकारी, हरिद्वार द्वारा

आदेश दिनांक 08.10.2024 द्वारा मात्र 55 आम के पेड़ों के पातन की अनुमति निर्गत की गयी। **(संलग्नक–7)**।

ii. श्री अभिषेक त्यागी द्वारा प्रभारी उद्यान सचल दल, बहादराबाद को अपने पत्र दिनांक 18.10.2024 द्वारा अवगत कराया गया कि अनुमन्य वृक्षों के पातन करते समय 05 वृक्ष टूट गये थे, जिस कारण उन वृक्षों का प्रार्थी द्वारा पातन करना पड़ा तथा जुर्माना जमा करने में सहमति व्यक्त की गयी। उक्त क्रम में मुख्य उद्यान अधिकारी, हरिद्वार द्वारा अपने आदेश दिनांक 27.10.2024 द्वारा श्री अभिषेक त्यागी के विरूद्ध 05 आम के वृक्षों के पातन पर रू0 5,000/– प्रति वृक्ष की दर से कुल धनराशि रू0 25,000/– का अर्थदण्ड आरोपित किया गया। श्री अभिषेक त्यागी द्वारा दिनांक 28.10.2024 को रू0 25,000/– का अर्थदण्ड जमा किया गया। **(संलग्नक–8)**।

iii. प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार द्वारा पातन अनुज्ञा दिनांक 20.12.2024 द्वारा श्री अभिषेक त्यागी को खसरा सं0–325/2 में खड़े 08 सेमल के वृक्षों में से 05 सेमल के हरे वृक्षों के पातन की अनुमति प्रदान की गयी। खसरा सं0–325/2 के शेष 03 सेमल के वृक्षों के अवैध पातन के सम्बन्ध में श्री अभिषेक त्यागी द्वारा श्री नसिम पुत्र श्री अजीज निवासी ग्राम–महमूदपुर, पिरान कलियर, हरिद्वार के विरूद्ध थाना बहादराबाद में शिकायत दर्ज की गयी। **(संलग्नक–9)**।

iv. वर्तमान में उपरोक्त खसरा सं0 में कोई पेड़ नही पाया गया।

3. **श्रीमती दीपिका त्यागी पत्नी श्री मुदित कुमार त्यागी, निवासी–01, निकट सोन्धी नर्सिंग होम, मयूर विहार, आर्यनगर ज्वालापुर, तहसील एवं जिला हरिद्वारः**

i. उद्धरण खसरा दिनांक 16.08.2024 के अनुसार श्रीमती दीपिका त्यागी खातेदार के खसरा सं0–335/1 में आम के 12 पेड़ एवं सेमल का 01 पेड़ तथा खसरा सं0–335/2 में 13 आम के पेड़ दर्ज थे। श्रीमती दीपिका त्यागी द्वारा दिनांक 09.10.2024 को मुख्य जिला उद्यान अधिकारी, हरिद्वार से खसरा सं0–335/1 तथा 325/2 में स्थित कुल–25 आम के पेड़ों को कटवाने की अनुमति चाही गयी। मुख्य उद्यान अधिकारी, हरिद्वार द्वारा आदेश दिनांक 10.12.2024 द्वारा श्रीमती दीपिका त्यागी द्वारा 25 आम के वृक्षों के पातन की अनुमति प्रदान की गयी। **(संलग्नक–10)**।

ii. प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार द्वारा पातन अनुज्ञा पत्र सं0–3114/23–3, हरिद्वार दिनांक 20.12.2024 द्वारा श्रीमती दीपिका त्यागी को खसरा सं0–335/1 में खड़े 01 सेमल के हरे पेड़ के पातन की अनुमति प्रदान की गयी। **(संलग्नक–11)**।

iii. वर्तमान में उपरोक्त खसरा नम्बरान में कोई वृक्ष नही पाया गया।

निष्कर्ष:

1. मै0 चिरायु स्टेट एण्ड डेवलपमेंट प्रा0 लि0 एवं अन्य द्वारा 83 आम के पेड़ों का अवैध पातन किया गया। सम्बन्धित विभाग द्वारा नियमानुसार अवैध पातन के विरूद्ध नियमानुसार रू0 5000/– प्रति वृक्ष की दर से रू0 4,15,000/– का अर्थदण्ड आरोपित किया गया जिसे श्री ए0एस0 बिष्ट अधिकृत प्रतिनिधि मै0 मै0 चिरायु स्टेट एण्ड डेवलपमेंट प्रा0 लि0 द्वारा उद्यान विभाग, हरिद्वार में जमा किया गया। खसरा सं0–330 के कुल–22 आम के पेड़ों का पातन मुख्य जिला उद्यान अधिकारी, हरिद्वार की अनुमति से किया गया। खातेदार के खसरा सं0–341 एवं 370 में आम बाग स्थित है तथा खसरा सं0–316, 317, 342 एवं 364 एवं 365 में वृक्ष अंकित नही हैं। उद्वरण खसरा दिनांक 02.05.2022 के अनुसार खसरा सं0–318 में वृक्ष नही थें।

2. श्री अभिषेक त्यागी द्वारा 55 आम के पेड़ों का पातन मुख्य जिला उद्यान अधिकारी, हरिद्वार की अनुमति से किया गया। 05 आम के पेड़ों के अवैध पातन के विरूद्ध मुख्य उद्यान अधिकारी, हरिद्वार द्वारा नियमानुसार रू0 5000/– प्रति वृक्ष की दर से रू0 25,000/– का अर्थदण्ड आरोपित किया गया जिसे श्री अभिषेक त्यागी द्वारा उद्यान विभाग, हरिद्वार में जमा किया गया। श्री अभिषेक त्यागी द्वारा 05 सेमल के वृक्षों का पातन प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार की अनुमति से किया गया जबकि 03 सेमल के वृक्षों के अवैध पातन के विरूद्ध खातेदार द्वारा थाना बहादराबाद में शिकायत दर्ज की गयी।

3. श्रीमती दीपिका त्यागीद्वारा 25 आम के वृक्षों का पातन जिला उद्यान अधिकारी, हरिद्वार की अनुमति से किया गया तथा 01 सेमल के वृक्ष का पातन प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार की अनुमति से किया गया।

4. श्री नरेश कुमार, सह सचिव, भारत माता अभिनन्दन संगठन, उत्तराखण्ड एवं श्री सुनील कुमार चौहान, भारत माता अभिनन्दन संगठन, बहादराबाद द्वारा समय–समय पर आम के वृक्षों के अवैध पातन तथा कैमिकल स्प्रे के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों पर उद्यान विभाग द्वारा समय–समय पर यथोचित कार्यवाही की गयी तथा अवैध पातन के मामलों में नियमानुसार अर्थदण्ड आरोपित किया गया है। याची श्री नरेश कुमार द्वारा 2000 पेड़ों के अवैध पातन की संख्या सम्बन्धी शिकायत अनुमानित एवं साक्ष्यहीन है। **(संलग्नक–12)**।

उपरोक्तानुसार जांच समिति की आख्या अवलोकनार्थ सादर प्रस्तुत है।

क्षेत्रीय अधिकारी **उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रूड़की।**	**जिला उद्यान अधिकारी** **हरिद्वार।**	**उप जिलाधिकारी** **हरिद्वार।**

तत्काल
मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण

कार्यालय जिलाधिकारी हरिद्वार।

संख्याः 88 /एल0बी0ए0–2025 दिनांकः 18 जनवरी, 2025

विषय– Service of Notice Dated 08-01-2025 to Respondent (R-6 to R-9 as per notice Copy enclosed) in Original Application No. 1350/2024 Titled "Naresh Kumar Vs State of Uttarakhand & Ors."-reg

क्षेत्रीय अधिकारी,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
रूडकी।

UK Pcb/ROR
Diary No. 3529
File No. 21/1/25
Date.

कृपया उपरोक्त विषयक परामर्शदाता (न्यायिक) मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली के ईमेल पत्र दिनांक 08.01.2025 के द्वारा Original Application No. 1350/2024 नरेश कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में विपक्षी संख्या–6 से 9 को नोटिस की तामीली कराकर तामीली आख्या तत्काल मा0 एन0जी0टी0 में उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

इस संबंध में तहसीलदार, हरिद्वार को विपक्षी संख्या–6 से 9 को तामील कराकर तामीली आख्या तत्काल उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार, हरिद्वार द्वारा तामीली आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तहसीलदार, हरिद्वार द्वारा उपलब्ध करायी गयी तामीली आख्या को आज ही अपने अधीनस्थ किसी कर्मचारी को मा0 एन0जी0टी0 में भेजकर उक्त तामीली आख्या को उपलब्ध कराते हुए कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–यथोपरि। (04 किते)

(दीपेन्द्र सिंह नेगी)
अपर जिलाधिकारी–वि0/रा0
हरिद्वार।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– रजिस्ट्रार जनरल, मा0 एन0जी0टी0 फरीदकोट हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली–110001
2– सदस्य सचिव मुख्यालय उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गौरा देवी पर्यावरण भवन 46 बी, आई0टी0 पार्क सहस्त्रधारा रोड देहरादून।
3– जिलाधिकारी महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी–वि0/रा0
हरिद्वार।

३९१

तत्काल / मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण

कार्यालय जिलाधिकारी हरिद्वार।

संख्याः 54 /एल0बी0ए0–2024 दिनांकः 09 जनवरी 2025

विषय– Notice for the DM&others inM.A. no 137/2024 In Oriiginal Application No. 584/2022 serve the Notice respondents and sending his report on or before the next date of hearing

तहसीलदार,
हरिद्वार।

कृपया उपरोक्त विषयक परामर्शदाता (न्यायिक)मा0 राष्ट्रीय हरि प्राधिकरण नई दिल्ली के ईमेल पत्र दिनांक 08.01.2025 के द्वारा Oriiginal Application No. 1350/2024 नरेश कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में विपक्षी संख्या–06 से 9 को नोटिस की तामीली कराकर तामीली आख्या तत्काल मा0 एन0जी0टी0 में उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः मा0 एन0जी0टी0 द्वारा प्रेषित नोटिस की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि विपक्षी संख्या 6 से 9 को तामील कराकर तामीली आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चत करें।

संलग्न–यथोक्त। विपक्षी सं0–8 को तामिली हेतु

(दीपेन्द्र सिंह नेगी)
अपर जिलाधिकारी–वि0 / रा0
हरिद्वार।

प्रतिलिपि– परामर्शदाता (न्यायिक)मा0 राष्ट्रीय हरि प्राधिकरण नई दिल्ली के ईमेल पत्र दिनांक 08.01.2025 के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी–वि0 / रा0
हरिद्वार।

N.H
13/01/2025

Received
(Tyagi)
15/1/25

दीपिका त्यागी
म.नं.01 मधुर विहार आर्य नगर ज्वालापुर

15/01/25

महोदय,
तामील कुन्दा की आख्या
सेवा में प्रेषित

तहसीलदार
हरिद्वार
16-1-25

398

<u>तत्काल / मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण</u>

कार्यालय जिलाधिकारी हरिद्वार।

संख्या: 54 /एल0बी0ए0–2024 दिनांक: 09 जनवरी 2025

विषय– Notice for the DM&others inM.A. no 137/2024 In Oriiginal Application No. 584/2022 serve the Notice respondents and sending his report on or before the next date of hearing

तहसीलदार,
हरिद्वार।

कृपया उपरोक्त विषयक परामर्शदाता (न्यायिक)मा0 राष्ट्रीय हरि प्राधिकरण नई दिल्ली के ईमेल पत्र दिनांक 08.01.2025 के द्वारा Oriiginal Application No. 1350/2024 नरेश कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में विपक्षी संख्या–06 से 9 को नोटिस की तामीली कराकर तामीली आख्या तत्काल मा0 एन0जी0टी0 में उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः मा0 एन0जी0टी0 द्वारा प्रेषित नोटिस की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि विपक्षी संख्या 6 से 9 को तामील कराकर तामीली आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चत करें।

संलग्न–यथोक्त। विपक्षी संख्या – 9 को तामिलीहेतु

(दीपेन्द्र सिंह नेगी)
अपर जिलाधिकारी–वि0 / रा0
हरिद्वार।

प्रतिलिपि– परामर्शदाता (न्यायिक)मा0 राष्ट्रीय हरि प्राधिकरण नई दिल्ली के ईमेल पत्र दिनांक 08.01.2025 के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी–वि0 / रा0
हरिद्वार।

H.M
तत्काल आवश्यक कार्यवाही
13/01/2025

Abhishek Tyagi मो0-9719760801

महोदय नोटिस के दिये गये पते के अनुसार मालूमात का अभिषेक त्यागी S/o ... मकान नं0 1 मयूर विहार कालोनी आर्य नगर ... में प्रेषित
15/01/25

श्री अभिषेक त्यागी
म0 न0 1 मयूर विहार कालोनी
आर्य नगर

महोदय,
तामील कुन्दा की आख्या
सेवा में प्रेषित

तहसीलदार
हरिद्वार
16-1-25

399

तत्काल / मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण

कार्यालय जिलाधिकारी हरिद्वार।

संख्याः 54 /एल0बी0ए0–2024 दिनांकः 09 जनवरी 2025

विषय– Notice for the DM&others inM.A. no 137/2024 In Oriiginal Application No. 584/2022 serve the Notice respondents and sending his report on or before the next date of hearing

तहसीलदार,
हरिद्वार।

कृपया उपरोक्त विषयक परामर्शदाता (न्यायिक)मा0 राष्ट्रीय हरि प्राधिकरण नई दिल्ली के ईमेल पत्र दिनांक 08.01.2025 के द्वारा Oriiginal Application No. 1350/2024 नरेश कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में विपक्षी संख्या–06 से 9 को नोटिस की तामीली कराकर तामीली आख्या तत्काल मा0 एन0जी0टी0 में उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः मा0 एन0जी0टी0 द्वारा प्रेषित नोटिस की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि विपक्षी संख्या 6 से 9 को तामील कराकर तामीली आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चत करें।

संलग्न–यथोक्त। विपक्षी सं0-07 को तामिली हेतु

(दीपेन्द्र सिंह नेगी)
अपर जिलाधिकारी–वि0 / रा0
हरिद्वार।

प्रतिलिपि– परामर्शदाता (न्यायिक)मा0 राष्ट्रीय हरि प्राधिकरण नई दिल्ली के ईमेल पत्र दिनांक 08.01.2025 के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी–वि0 / रा0
हरिद्वार।

HH
तदनुसार अनुपालन करें
13/01/2025
राजस्व निरीक्षक
हरिद्वार

Received
9719760801

महोदय, नोटिस के दिये गये पते के अनुसार चिराग कुमार ... ग्राम - बहादराबाद ... नोटिस प्राप्त कराया गया आख्या सेवा में प्रेषित है।
13/01/25

चिराग कुमार
ग्राम - बहादराबाद

महोदय,
तामील कुन्दा की आख्या
सेवा में प्रेषित

तहसीलदार
हरिद्वार
16-1-25

408

तत्काल / मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण

कार्यालय जिलाधिकारी हरिद्वार।

संख्याः 54 /एल0बी0ए0–2024 दिनांकः 09 जनवरी 2025

विषय– Notice for the DM&others inM.A. no 137/2024 In Oriiginal Application No. 584/2022 serve the Notice respondents and sending his report on or before the next date of hearing

तहसीलदार,
हरिद्वार।

कृपया उपरोक्त विषयक परामर्शदाता (न्यायिक)मा0 राष्ट्रीय हरि प्राधिकरण नई दिल्ली के ईमेल पत्र दिनांक 08.01.2025 के द्वारा Oriiginal Application No. 1350/2024 नरेश कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में विपक्षी संख्या–06 से 9 को नोटिस की तामीली कराकर तामीली आख्या तत्काल मा0 एन0जी0टी0 में उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः मा0 एन0जी0टी0 द्वारा प्रेषित नोटिस की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि विपक्षी संख्या 6 से 9 को तामील कराकर तामीली आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चत करें।

संलग्न–यथोक्त। विपक्षी सं-6 को तामिली हेतु

(दीपेन्द्र सिंह नेगी)
अपर जिलाधिकारी–वि0/रा0
हरिद्वार।

प्रतिलिपि– परामर्शदाता (न्यायिक)मा0 राष्ट्रीय हरि प्राधिकरण नई दिल्ली के ईमेल पत्र दिनांक 08.01.2025 के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी–वि0/रा0
हरिद्वार।

N.H
तत्काल आवश्यक कार्यवाही
13/01/2025

(दूसरा)
Received
Ashutosh Tyagi
15/1/24

(सहारा इण्डिया लि0)
ग्राम - बहादराबाद
हरिद्वार

महोदय - नोटिस में दिये गये पते के अनुसार ... सहारा इण्डिया लि0 ... आख्या सेवा में प्रेषित है।
15/01/25

महोदय,
तामील कुन्दा की आख्या
सेवा में प्रेषित

तहसीलदार
हरिद्वार
16-1-25

उद्धरण खसरा

नकल खसरा ग्राम ......महादराबाद......... परगना ......ज्वालापुर...... तहसील ......हरिद्वार......... जिला हरिद्वार

सन् १४२९ फ० सन फसली सम्बन्धी

खेत की संख्या	क्षेत्रफल हेक्टेयर या बंदोबस्ती बीघों में	खतौनी की संख्या	खतौनी के भाग 1 के वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम	खतौनी के भाग 1 के वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम (यदि कोई हो)	सिंचाई का साधन	क्षेत्रफल – खरीफ – फसल का नाम	खरीफ – सिंचित	खरीफ – असिंचित	रबी – फसल का नाम	रबी – सिंचित	रबी – असिंचित	जायद – फसल का नाम	जायद – सिंचित	जायद – असिंचित	दो फसली क्षेत्रफल – सिंचित	दो फसली क्षेत्रफल – असिंचित	अकृषिक भूमि – भूमि की श्रेणी	अकृषिक भूमि – क्षेत्रफल	खेत के पूरे बढ़े हुए पेड़ों की संख्या	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
२८६	१.४३६	६६ / १.४८२	चिराग हुसैन आदि [illegible]																आम १८	
२८९/२	०.६२०	६६	चिराग हुसैन [illegible]																	
३२०	०.२३६	६६	चिराग हुसैन [illegible]																आम ३०	
३२१	१.६४१	६८	चिराग हुसैन [illegible]																आम ५	
३९६	२.११० / १.४२४	६६	चिराग हुसैन [illegible]																जामुन ३०	श०न० ३९६ में
२९८	—	—	—																	श०न० २९८ में
३९८	०.१६४	१८८	रामचन्द्र																	

प्राप्ति स्थान : सरस्वती स्टेशनी एण्ड काइस, ज्वालापुर, हरिद्वार

83 पेड़ (1)

Annexure - 2

सेवा में,

प्रभारी उद्यान सचल दल

केन्द्र बहादराबाद

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि **चिरायुइस्टेट एण्ड डेवलेपमेंट प्रा0लि0 / सायरस इस्टेट एण्ड रीयलिटी प्रा0लि0 / दीपिशा रीयलिटी एण्ड लीजिंग प्रा0लि0 / धनन्जय इस्टेट एण्ड रीयलिटी प्रा0लि0 / देवदत्त इस्टेट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्रा0लि0 / धर्मवीर डेवलपमेन्ट एण्ड रीयलिटी प्रा0लि0 / दत्तात्रेया इस्टेट एण्ड रीयलिटी प्रा0लि0 / सहारा इण्डिया / ए0एस0 बिष्ट** जमीन पर आम बाग स्थित बहादराबाद से ठेकेदार को रोग ग्रस्त एवं सूखे दो से तीन पेड़ों को हटाने के लिए कहा गया था परन्तु ठेकेदार के द्वारा मेरी अनुपस्थिति में आम के वृक्षों का भी पातन कर दिया गया है जिसकी हमें जानकारी नही थी। अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त पातान किये गये पेड़ो का <u>अर्थदण्ड / जुर्माना</u> जमा करा कर उक्त प्रकरण यहीं समाप्त करने की कृपा करें तथा भविष्य में इस प्रकार की पुर्नवृत्ती नही की जाएगी।

प्रकरण उक्त के सापेक्ष अवैध आम वृक्ष पातन का प्रति वृक्ष अर्थदण्ड रु- 5000=00 की दर से कुल 83 आम वृक्षों का कुल अर्थदण्ड रु 83x5000=415000=00 (चार लाख पन्द्रह हजार रुपये मात्र) जमा कराने की संस्तुति की जाती है।

(signature)
प्रभारी
उ0स0द0केन्द्र
बहादराबाद

M/s Cyrus Estate & Reality Pvt. Ltd.

निवेदक

ए0एस0 बिष्ट (signature) A.S. Bisht

निवासी–एफ.102
लक्ष्मीपार्क नांगलोई
दिल्ली–110041

Mob no- 9837100431
9412998687

Annexure - 3

अर्थ दण्ड आदेश

श्री ए0 एस0 बिष्ट निवासी एफ–102 लक्ष्मीपार्क नागलोई दिल्ली मौजा स्थित बहादरावाद जिला हरिद्वार द्वारा बिना विभाग की अनुमति के अपने बाग से 83 जीवित आम वृक्षों का पातन किये जाने पर की गई विभागीय कार्यवाही में दोषी पाये गये, उक्त जीवित वृक्षों को सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा के अभाव में पातन किया गया है, जो कि भारतीय वन (उत्तरांचल संशोधन) संरक्षण अधिनियम की धारा 42 की उपधार (1) का स्पष्ठ उल्लंघन है।

अतः अधिनियम के उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर मै मुख्य उद्यान अधिकारी,हरिद्वार शासनादेश संख्या 927/IX-3-2012 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री श्री ए0 एस0 बिष्ट निवासी एफ–102 लक्ष्मीपार्क नागलोई दिल्ली मौजा स्थित बहादरावाद के विरूद्ध 83 जीवित वृक्षों के पातन पर रू0, 5000.00 प्रति वृक्ष की दर से कुल धनराशि रू0, 415000.00 (चार लाख पन्द्रह हजार) का अर्थ दण्ड निर्धारित करते हुये उन्हे निर्देशित करता हूँ कि वे तत्काल रू0 415000.00 (चार लाख पन्द्रह हजार) मात्र रोकडिया कार्यालय मुख्य उद्यान अधिकारी कमरा न0–78 विकास भवन, रोशनाबाद में जमा करना सुनिश्चित करें।

(नरेन्द्र कुमार यादव)
मुख्य उद्यान अधिकारी,
हरिद्वार

कार्यालय मुख्य उद्यान अधिकारी हरिद्वार

पत्रांक 267/अवैध पातन/2022–23 दिनांक हरिद्वार 06-05-2022

प्रतिलिपिः–1– श्री ए0 एस0 बिष्ट निवासी एफ–102 लक्ष्मीपार्क नागलोई दिल्ली मौजा स्थित बहादरावाद जिला हरिद्वार को उपरोक्तानुसार अनुपलनार्थ।

2– रोकडिया मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि रू0 415000.00(चार लाख पन्द्रह हजार) मात्र श्री ए0 एस0 बिष्ट निवासी एफ–102 लक्ष्मीपार्क नागलोई दिल्ली मौजा स्थित बहादरावाद जिला हरिद्वार से प्राप्त कर विभागीय कैश रसीद उपलब्ध कराते हुये धनराशि विभागीय लेखाशीर्षक में जमा करना सुनिश्चित करें

3– प्रभारी उद्यान सचल दल केन्द्र बहादरावाद

4– थाना प्रभारी बहादराबाद हरिद्वार

मुख्य उद्यान अधिकारी,
हरिद्वार

8343

Annexure - 4

डी०ए०डी०–2

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड

कैश रसीद बुक

पुस्तक संख्या .... रसीद संख्या 074718 .... दिनांक 06/05/2022

श्री/मै० ई०एस० बिल्डर्स निवासी F-102, लक्ष्मीपार्क, नागलोई दिल्ली से रु० 415000=00

(शब्दो में) मौजा [illegible] बहादराबाद हरिद्वार में प्राप्त हुई।

क्र० सं०	बेची गयी वस्तुओं/किये गये काम का वर्णन	परिमाण	मूल्य दर	धनराशि रु०	धनराशि पै०	प्रपंजी (Ledger) पृष्ठ
01	मै० ई०एस० बिल्डर्स द्वारा फलदार पेड़ों के अवैध पातन के कारण लगाये गये अर्थदण्ड की धनराशि जमा (CHO के आदेश सं० 267 दिनांक 06.05.2022 के क्रम में)		₹	415000	00	
	योग रु० (चार लाख पन्द्रह हजार मात्र)		₹	415001	00	

प्रतिहस्ताक्षरित 06/05/2022

मुख्य उद्यान अधिकारी हरिद्वार

प्रभारी/कार्यालयाध्यक्ष

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर मुहर सहित।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 1 उद्यान/104–5–7–2011–5,000 बुक्स (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।

Annexure - 5

उद्धरण खसरा

ग्राम ......बहादराबाद...... परगना ......ज्वालापुर...... तहसील ......हरिद्वार...... जिला हरिद्वार १४३२ सन् फसली सम्बन्धी

खेत की संख्या	क्षेत्रफल हेक्टेयर या वंतोवसी बीघों में	खतौनी की संख्या	खतौनी के भाग 1 के वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम	खतौनी के भाग 2 के वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम यदि कोई हो	सिंचाई की रीति और कुएं	कृषिक (फसल वाली) भूमि का क्षेत्रफल — खरीफ — फसल का नाम	खरीफ क्षेत्रफल — सिंचित	खरीफ क्षेत्रफल — असिंचित	रबी — फसल का नाम	रबी क्षेत्रफल — सिंचित	रबी क्षेत्रफल — असिंचित	जायद — फसल का नाम	जायद क्षेत्रफल — सिंचित	जायद क्षेत्रफल — असिंचित	दो फसली क्षेत्रफल — सिंचित	दो फसली क्षेत्रफल — असिंचित	मिलान खसरा स्तम्भों के अकृषिक (विनाफसल वाली) भूमि का ब्यौरा — भूमि की श्रेणी	मिलान खसरा स्तम्भों के अकृषिक (विनाफसल वाली) भूमि का ब्यौरा — क्षेत्रफल	प्रत्येक खेत के पूरे वृक्षों की संख्या और किस्म	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
३३०	०.५१२ ०.६२४ १.१३६	६६	निशापु इस्टेट आ० क०न० २८६	—	—	—	—		—			—	—				—		आम/२२ —	ख० सं० ३३१/०.६२५ ...
३३१	—	—	—		—		—	—				—					—		—	ग० सं० ३३०३

[illegible handwritten endorsement and signature]
16-8-2024

प्राप्ति स्थान : सरस्वती सप्लाई एजेन्सी (स्टेशनर्स एवं प्रिन्टर्स), अनाज का गोदाम के सामने ज्वालापुर, हरिद्वार 249407 ☎: 7055456463

सेवा मे,

श्री मान मुख्य जिला उद्यान अधिकारी महोदय,हरिद्वार।
जिला- हरिद्वार।

श्री मान जी,

निवेदन यह है कि खाता खतौनी नम्बर- 67,के खसरा नम्बर 330 रकबई- 0.512है0 स्थित मौजा- बहादराबाद, परगना ज्वालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार को मुख्त्यारेआम नियुक्त किया हुआ है जिसकी पावर आफ आटर्नी की फोटो कापी साथ मे सलग्न है इसलिए प्रार्थी को उक्त सम्पत्ति की बावत अधिकार प्राप्त चले आते है। श्री मान जी उक्त सम्पत्ति मे 22 पेड आम के खडे हुए है जो कि बहुत अधिक पुराने है और अधिक पुराने होने के कारण ना तो फसल देते हैं और बीमार भी होने लगे है इसलिए हम उक्त सम्पत्ति से पूर्णतया लाभ प्राप्त नही कर पा रहे है जिस कारण से प्रार्थी उपरोक्त 22 पेड आम के कटवाकर उनके स्थान पर नई किस्म के अच्छे पेड लगानाचाहता है जिसके लिए माननीय महोदय की अनुमति की आवश्यकता है जो कि प्रदान की जानी आवश्यक है।

अतः श्री मान जी से प्रार्थना हैकि उपरोक्त तथ्यो को मद्देनजर रखते हुए प्रार्थी को उपरोक्त 22 पेड आम के कटवाने व उनके स्थान पर नई किस्म के अच्छे पेड लगाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करे, आपकी अति कृपा होगी।

दिनांक- 09/10/2024

प्रार्थी

Mahaveer

महावीर प्रसाद पुत्र श्री राजाराम
निवासी- गौरीवाला सिरसा हरियाणा।

सत्यमेव जयते

IN-UK50046795598059W

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UK50046795598059W
Certificate Issued Date	:	09-Oct-2024 10:19 AM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ uk1304904/ ROSHNABAD/ UK-HD
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UKUK130490407111880838636W
Purchased by	:	MAHAVEER PRASHAD
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	NA
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	MAHAVEER PRASHAD
Second Party	:	SHAKSHAM ADHIKARI
Stamp Duty Paid By	:	MAHAVEER PRASHAD
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

अनिल कुमार, ली. नं. 252/18
स्टाम्प विक्रेता रोशनाबाद, हरिद्वार

13032

Please write or type below this line

NOTARIAL NOTARIAL

{शपथपत्र}
==========

समक्षः- श्री मान मुख्य जिला उधान अधिकारी महोदय,हरिद्वार।

शपथपत्र मिनजानिब:- महावीर प्रसाद पुत्र श्री राजाराम निवासी- गौरीवाला सिरसा {हरियाणा}।

मै शपथपूर्वक निम्न कथन करता हूँ कि:-

{1} यहकि मेरा उपरोक्त नाम एव पता सबसच व सही है।

Mahaveer

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at www.shcilestamp.com or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.

§2§

§2§ यहकि खाता खतौनी नम्बर- 67 के खसरा नम्बर- 330 रकबई- 0.512 है0 स्थित मौजा- बहादराबाद, परगना ज्वालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार की बावत शपथकर्ता को मुख्त्यारेआम नियुक्त किया हुआ है इसलिए शपथकर्ता को उक्त सम्पत्ति की बावत अधिकार प्राप्त चले आते है।

§3§ यहकि उपरोक्त सम्पत्ति मे 22 पेड आम के खडे हुए है जो कि बहुत ही पुराने है इसलिए फसल नही देते है जिस कारण से हम अपनी सम्पत्ति से पूर्णतया लाभान्वित नही हो पाते है इसलिए शपथकर्ता उक्त 22 पेड आम के कटवाकर उनके स्थान पर नई किस्म के अच्छे पेड लगाना चाहता है जिसके लिए अनुमति प्रदान की जानी आवश्यक है।

यहकि शपथपत्र का कुल कथन सत्य व सही है कोई तथ्य छिपाया नही गया है और ना ही झूठ बोला गया है ईश्वर सच बोलने मे मेरी मददकरे।

दिनांक- 09/10/2024

ह0 शपथकर्ता

Mahaveer

प्रमाणित

09/10/24

09/10/24

ह0 शपथकर्ता

Mahaveer

CHIRAAYU ESTATE AND DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED

Regd. Office- 9th Floor, 97-98, Atlanta Building, Nariman Point, Mumbai- 400021

CIN- U70100MH1996PTC103725 Emails- cedpl.statutory@sahara.in

EXTRACT FROM THE MINUTES OF MEETING OF BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY HELD ON WEDNESDAY 01st JUNE 2022 AT SAHARA INDIA BHAWAN, 1 KAPOORTHALA COMPLEX, ALIGANJ, LUCKNOW

AUTHORITY TO SHRI MAHAVIR PARSHAD AND/OR SHRI AJEET KUMAR SRIVASTAVA FOR SALE OF LAND SITUATED AT VILLAGE - BAHADARABAD, RANIPUR, PARGANA - JWALAPUR, TEHSIL & DISTRICT - HARIDWAR, UTTARAKHAND

"**RESOLVED THAT** Shri Mahavir Parshad S/o Shri Raja Ram, R/o H.No. 50, Ward No. 2-B Biswa, Gurgaon, Haryana-122001 and/or Shri Ajeet Kumar Srivastava S/o Late Sri Hira Lal Srivastava, R/o V-14, Vinayakpuram Near Vin Palace Sector 12 Vikash Nagar Lucknow-226022, be and are hereby authorized to sell the land situated at Village - Bahadarabad, Ranipur, Pargana - Jwalapur, Tehsil & District - Haridwar, Uttarakhand belonging to the company and deal, negotiate with various interested parties and to finalize and execute/sign M.O.U., Agreements and Sale Deed(s) for the purpose of sale of such land belonging to the company and to do such other acts as may be required on behalf of the Company for the said purpose.

RESOLVED FURTHER THAT aforesaid Shri Mahavir Parshad and/or Ajeet Kumar Srivastava be and are hereby authorized to execute/sign and verify such other necessary document(s) as may be required and to appear on the behalf of the Company before the Registrar / Sub-Registrar or any other Registering Authority, for Registration of Sale Deed(s) and to do all such other acts and deed which may be required from time to time pertaining to the legal proceedings on behalf the Company."

For CHIRAAYU ESTATE AND DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED

Harindra

(HARINDRA PAL KUMAR)
Director
DIN: 00181103

Mahaveer

CYRUS ESTATE AND REALITY PRIVATE LIMITED
Regd. Office: Sahara India Point, CTS 40 & 44, S V Road, Goregaon West, Mumbai-400104
CIN: U45200MH1996PTC104168E-MAIL: cerpl.statutory@sahara.in

EXTRACT FROM THE MINUTES OF THE MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY HELD ON WEDNESDAY, 06TH JULY, 2022 AT SAHARA INDIA BHAWAN, 1, KAPOORTHALA COMPLEX, ALIGANJ, LUCKNOW-226024

AUTHORITY TO SHRI MAHAVIR PARSHAD AND/OR SHRI AJEET KUMAR SRIVASTAVA FOR SALE OF LAND SITUATED AT VILLAGE - BAHADARABAD, RANIPUR, PARGANA - JWALAPUR, TEHSIL & DISTRICT - HARIDWAR, UTTARAKHAND

"**RESOLVED THAT** Shri Mahavir Parshad S/o Shri Raja Ram, R/o H.No. 50, Ward No. 2-B Biswa, Gurgaon, Haryana-122001 and/or Shri Ajeet Kumar Srivastava S/o Late Sri Hira Lal Srivastava, R/o V-14, Vinayakpuram Near Vin Palace Sector 12 Vikash Nagar Lucknow-226022, be and are hereby authorized to sell the land situated at Village - Bahadarabad, Ranipur, Pargana - Jwalapur, Tehsil & District - Haridwar, Uttarakhand belonging to the company and deal, negotiate with various interested parties and to finalize and execute/sign M.O.U., Agreements and Sale Deed(s) for the purpose of sale of such land belonging to the company and to do such other acts as may be required on behalf of the Company for the said purpose.

RESOLVED FURTHER THAT aforesaid Shri Mahavir Parshad and/or Ajeet Kumar Srivastava be and are hereby authorized to execute/sign and verify such other necessary document(s) as may be required and to appear on the behalf of the Company before the Registrar / Sub-Registrar or any other Registering Authority, for Registration of Sale Deed(s) and to do all such other acts and deed which may be required from time to time pertaining to the legal proceedings on behalf the Company."

FOR CYRUS ESTATE AND REALITY PRIVATE LIMITED

Harindra

(HARINDRA PAL KUMAR)
Director
DIN: 00181103

Mahaveer

DEEPESHA REALITY AND LEASING PRIVATE LIMITED
Regd. Office: Sahara India Point, CTS 40 & 44, S V Road, Goregaón West, Mumbai-400104
CIN: U70100MH1996PTC103978E-MAIL: drlpl.statutory@sahara.in

EXTRACT FROM THE MINUTES OF THE MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY HELD ON WEDNESDAY, 06TH JULY, 2022 AT SAHARA INDIA BHAWAN, 1, KAPOORTHALA COMPLEX, ALIGANJ, LUCKNOW-226024

AUTHORITY TO SHRI MAHAVIR PARSHAD AND/OR SHRI AJEET KUMAR SRIVASTAVA FOR SALE OF LAND SITUATED AT VILLAGE - BAHADARABAD, RANIPUR, PARGANA - JWALAPUR, TEHSIL & DISTRICT - HARIDWAR, UTTARAKHAND

"**RESOLVED THAT** Shri Mahavir Parshad S/o Shri Raja Ram, R/o H.No. 50, Ward No. 2-B Biswa, Gurgaon, Haryana-122001 and/or Shri Ajeet Kumar Srivastava S/o Late Sri Hira Lal Srivastava, R/o V-14, Vinayakpuram Near Vin Palace Sector 12 Vikash Nagar Lucknow-226022, be and are hereby authorized to sell the land situated at Village - Bahadarabad, Ranipur, Pargana - Jwalapur, Tehsil & District - Haridwar, Uttarakhand belonging to the company and deal, negotiate with various interested parties and to finalize and execute/sign M.O.U., Agreements and Sale Deed(s) for the purpose of sale of such land belonging to the company and to do such other acts as may be required on behalf of the Company for the said purpose.

RESOLVED FURTHER THAT aforesaid Shri Mahavir Parshad and/or Ajeet Kumar Srivastava be and are hereby authorized to execute/sign and verify such other necessary document(s) as may be required and to appear on the behalf of the Company before the Registrar / Sub-Registrar or any other Registering Authority, for Registration of Sale Deed(s) and to do all such other acts and deed which may be required from time to time pertaining to the legal proceedings on behalf the Company."

FOR DEEPESHA REALITY AND LEASING PRIVATE LIMITED

Harindra
(HARINDRA PAL KUMAR)
Director
DIN: 00181103

Mahavir

DEVAPUTRA ESTATE AND INVESTMENT PRIVATE LIMITED
Regd. Office- C-502, Lilac Garden, Charkop Mumbai- 400067
CIN- U70100MH1997PTC106709 **Emails**- deipl.statutory@sahara.in

EXTRACT FROM THE MINUTES OF MEETING OF BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY HELD ON WEDNESDAY 01st JUNE 2022 AT SAHARA INDIA BHAWAN, 1 KAPOORTHALA COMPLEX, ALIGANJ, LUCKNOW

AUTHORITY TO SHRI MAHAVIR PARSHAD AND/OR SHRI AJEET KUMAR SRIVASTAVA FOR SALE OF LAND SITUATED AT VILLAGE - BAHADARABAD, RANIPUR, PARGANA - JWALAPUR, TEHSIL & DISTRICT - HARIDWAR, UTTARAKHAND

"**RESOLVED THAT** Shri Mahavir Parshad S/o Shri Raja Ram, R/o H.No. 50, Ward No. 2-B Biswa, Gurgaon, Haryana-122001 and/or Shri Ajeet Kumar Srivastava S/o Late Sri Hira Lal Srivastava, R/o V-14, Vinayakpuram Near Vin Palace Sector 12 Vikash Nagar Lucknow-226022, be and are hereby authorized to sell the land situated at Village - Bahadarabad, Ranipur, Pargana - Jwalapur, Tehsil & District - Haridwar, Uttarakhand belonging to the company and deal, negotiate with various interested parties and to finalize and execute/sign M.O.U., Agreements and Sale Deed(s) for the purpose of sale of such land belonging to the company and to do such other acts as may be required on behalf of the Company for the said purpose.

RESOLVED FURTHER THAT aforesaid Shri Mahavir Parshad and/or Ajeet Kumar Srivastava be and are hereby authorized to execute/sign and verify such other necessary document(s) as may be required and to appear on the behalf of the Company before the Registrar / Sub-Registrar or any other Registering Authority, for Registration of Sale Deed(s) and to do all such other acts and deed which may be required from time to time pertaining to the legal proceedings on behalf the Company.

For DEVAPUTRA ESTATE AND INVESTMENT PRIVATE LIMITED

(RAVI KUMAR)
Director
DIN: 08204272

DHARMAVEER DEVELOPMENT AND REALITY PRIVATE LIMITED
Regd. Office: Sahara India Point, CTS 40 & 44, S V Road, Goregaon West, Mumbai-400104
CIN: U70100MH1997PTC106712E-MAIL: ddrpl.statutory@sahara.in

EXTRACT FROM THE MINUTES OF THE MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY HELD ON WEDNESDAY, 06TH JULY, 2022 AT SAHARA INDIA BHAWAN, 1, KAPOORTHALA COMPLEX, ALIGANJ, LUCKNOW-226024

AUTHORITY TO SHRI MAHAVIR PARSHAD AND/OR SHRI AJEET KUMAR SRIVASTAVA FOR SALE OF LAND SITUATED AT VILLAGE - BAHADARABAD, RANIPUR, PARGANA - JWALAPUR, TEHSIL & DISTRICT - HARIDWAR, UTTARAKHAND

"**RESOLVED THAT** Shri Mahavir Parshad S/o Shri Raja Ram, R/o H.No. 50, Ward No. 2-B Biswa, Gurgaon, Haryana-122001 and/or Shri Ajeet Kumar Srivastava S/o Late Sri Hira Lal Srivastava, R/o V-14, Vinayakpuram Near Vin Palace Sector 12 Vikash Nagar Lucknow-226022, be and are hereby authorized to sell the land situated at Village - Bahadarabad, Ranipur, Pargana - Jwalapur, Tehsil & District - Haridwar, Uttarakhand belonging to the company and deal, negotiate with various interested parties and to finalize and execute/sign M.O.U., Agreements and Sale Deed(s) for the purpose of sale of such land belonging to the company and to do such other acts as may be required on behalf of the Company for the said purpose.

RESOLVED FURTHER THAT aforesaid Shri Mahavir Parshad and/or Ajeet Kumar Srivastava be and are hereby authorized to execute/sign and verify such other necessary document(s) as may be required and to appear on the behalf of the Company before the Registrar / Sub-Registrar or any other Registering Authority, for Registration of Sale Deed(s) and to do all such other acts and deed which may be required from time to time pertaining to the legal proceedings on behalf the Company."

FOR DHARMAVEER DEVELOPMENT AND REALITY PRIVATE LIMITED

Harindra

(HARINDRA PAL KUMAR)
Director
DIN: 00181103

Mahaveer

आदेश

भारतीय संविधान की धारा 299 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड सरकार की विज्ञप्ति संख्या 765/7-127/1965 दिनांक 27.04.1983 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के साथ पठित 3-6 में (उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड सरकार के राज्यपाल के अनुसार) दिये गये अधिकारों के अनुसार अधोहस्ताक्षरी प्रतिभूति वचनबद्ध करने एवं अवमुक्त करने हेतु प्राधिकृत है।

उपरोक्त क्रम में श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री राजाराम निवासी गौरीवाला सिरसा हरियाणा मौजा बहादराबाद, जिला हरिद्वार ने अपने आवेदन पत्र दिनांक 09.10.2024 के द्वारा 22 आम के पातन हेतु आवेदन किया गया है, पातन हेतु आवेदित 22 वृक्षों का निरीक्षण प्रभारी उद्यान सचल दल केन्द्र, बहादराबाद से कराया गया है निरीक्षण आख्यानुसार आवेदित वृक्षों के सापेक्ष कुल 22 आम वृक्ष पातन योग्य पाये गये, सम्बन्धित बाग स्वामी, पातन के उपरान्त पुराने पेड के एवज में नये पेड लगाने हेतु रू0 250.00 प्रति वृक्ष की दर से कुल 22 वृक्ष की धनराशि रू0 5500.00 मुख्य उद्यान अधिकारी हरिद्वार के पक्ष में बन्धक कराते हुये डाकघर के बचत पत्र/बैंक सावधि जमा, मूल रूप से जमा करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त आदेश संबन्धित प्रभारी द्वारा प्राप्त संस्तुति के क्रम में जारी की जा रही है। इस आदेश में उल्लेखित फलदार वृक्ष की संख्या से अधिक वृक्षों के पातन किये जाने पर यह स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी एवं नियम संगत वैद्यानिक कार्यवाही अपनाई जायेगी एवं भूमि पर किसी भी प्रकार के वाद/विवाद की स्थिति को यदि आवेदनकर्ता के द्वारा अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में नहीं लाया जाता है या जानबूझकर छिपाया जाता है तो पातन अनुज्ञा निरस्त कर दी जाएगी। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदनकर्ता की होगी एवं यदि पुराने पेडों के एवज में नये पेड नहीं लगाये जाते हैं तो बचत पत्र विभाग के नाम जब्त की जायेगी।

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार।

कार्यालय मुख्य उद्यान अधिकारी हरिद्वार

पत्रांक 3661./पातन-जमानत/2024-25 दिनांक हरिद्वार 10-12-2024।

प्रतिलिपिः- 1- श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री राजाराम निवासी गौरीवाला सिरसा हरियाणा मौजा बहादराबाद, जिला हरिद्वार को उक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2- डाकपाल, डाकघर, बहादराबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

3- शाखा प्रवन्धक, बहादराबाद को सूचनार्थ।

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार।
9/12/24

174

कार्यालय मुख्य उद्यान अधिकारी, हरिद्वार

दिनांक 25/10/. 2024

पत्रांक 2258/पातन जांच/2024–25
1– गठित समिति के सदस्य।

2– प्रभारी, उद्यान सचल दल केन्द्र
बहादराबाद, हरिद्वार।

विषयः– श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री राजाराम निवासी गौरीवाला सिरसा हरियाणा मौजा स्थित बहादराबाद, के आम बाग में 22 आम वृक्षों पातन हेतु जांच आख्या के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक निम्नलिखित आवेदन पत्र मूल रूप में संलग्नको सहित प्रेषित करते हुये आपको निर्देशित किया जाता कि आप प्रश्नगत वृक्षों के पातन हेतु उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976(उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) तथा वन विधि मार्ग दर्शिका में प्रदत्त निर्देशों के आलोक में स्वंय स्थलीय निरीक्षण करते हुये निम्नलिखित विन्दुओं पर अपनी लिखित आख्या एवं पातन हेतु अनुज्ञा देय है अथवा नही स्पष्ट करना सुनिश्चित करें।

1– प्रार्थी कृषि योग्य उस भूमि का स्वामी है जिस पर खडे वृक्षों के पातन हेतु आवेदन किया गया है।
2– प्रार्थी द्वारा संलग्न किये गये पहचान पत्र को मूल प्रति से मिलान किया जाये।
3– प्रश्नगत भूखण्ड पर खडे कुल वृक्षों की संख्या तथा पातन योग्य वृक्षों की संख्या स्पष्ट की जाये।
4– प्रश्नगत वृक्ष पातन योग्य क्यों है कारण सहित स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।
5– प्रार्थी द्वारा पूर्व में भी वृक्ष पातन किये गये है यदि हॉ तो विवरण प्रस्तुत करें।
6– पातन योग्य वृक्षों के मौके पर प्रार्थी के साथ आप अपना जियो टैग लोकेशन के साथ फोंटो संलग्न करें।
7– पातन की अनुज्ञा यदि नियमानुसार जारी की जाती हे तो पातन उपरान्त भी जियो टैग का फोंटो संलग्नक करना आवश्यक होगा।
8 –यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पातन अनुज्ञा लेने वाले की भूमि उसी के नाम की दर्ज हो।
9– आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रपत्रों की भलीभॉति जॉच कर ली जाये।
10–पातन अनुज्ञा तथा पातन उपरान्त नियमानुसार पौध रोपण की जियों टैग फोटो भी पातन के 15 दिन के अन्तर्गत प्रस्तुत करें।
11–आवेदक द्वारा जिस उद्यान से वृक्षों के पातन हेतु अनुमति मांगी जा रही है उस उद्यान का नक्शा नजरिया संलग्न करते हुये बाग में स्थित समस्त वृक्षों की संख्या प्रदर्शित कर,पातन हेतु अनुमति मांगे जाने वाले वृक्षों को चिन्हित करना आवश्यक होगा, साथ ही बाग के चारों दिशाओं में किस कृषक की भूमि है का भी अंकन किया जाय तथा निरीक्षण के समय बागस्वामी के हस्ताक्षर कराना भी आवश्यक होगा।
12–मूल आवेदन पत्र संलग्नको सहित जॉच आख्या के साथ मूल रूप में इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
13 –इस आदेश में उल्लेखित फलदार वृक्ष की संख्या से अधिक वृक्षों के पातन किये जाने पर यह स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी एवं नियम संगत वैधानिक कार्यवाही अपनाई जायेगी एवं भूमि पर किसी भी प्रकार के वाद/विवाद की स्थिति को यदि आवेदनकर्ता के द्वारा अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में नहीं लाया जाता है या जानबूझकर छिपाया जाता है तो पातन अनुज्ञा निरस्त कर दी जाएगी। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदनकर्ता की होगी।
14 – सही/सटीक निरीक्षण किये जाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संवन्धित प्रभारी की होगी। सही निरीक्षण न करने पर संबन्धित प्रभारी स्वयं उत्तरदायी होगा एवं किसी भी विपरीत परिस्थिति के उत्पन्न होने पर संबन्धित पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नः– मूल आवेदन पत्र संलग्नकों सहित

मुख्य उद्यान अधिकारी,
हरिद्वार

कार्यालय – मुख्य उद्यान अधिकारी हरिद्वार।

पातन अनुज्ञा संख्या 3749 /फ0वृ0पा0/2024–25 दिनांक 16/12/2024 हरिद्वार 2024

पातन अनुज्ञा

उत्तराखण्ड शासन वन एवं पर्यावरण अनुभाग–3 के पत्र संख्या 927/X-3-12/दिनांक 03.12.2012 एवं उत्तर प्रदेश अधिनियम 45/1976 यथावृत्त की धारा–3 की उपधारा(III) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी निम्नलिखित को निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत की जाती है।

1–अधोलिखित प्रार्थी श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री राजाराम निवासी गौरीवाला सिरसा हरियाणा मौजा बहादराबाद, जिला हरिद्वार ने अधोहस्ताक्षरी से अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 09.10.2024 के द्वारा अपनी निजी भूमि में स्थित बाग से फल वृक्षों के पातन की अनुज्ञा मांगी गई है।

2–अधोहस्ताक्षरी ने प्रभारी उ0स0द0 केन्द्र, बहादराबाद से बाग/पातन क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण करा लिया है व स्वयं को संतुष्ट कर लिया है।

3–अधोलिखित पेड प्रार्थी की व्यक्तिगत भूमि में स्थित बाग में खडे हैं।

4–ये पेड पूर्णतः प्रतिबन्धित प्रजाति के हैं तथा हरे हैं। ये फलदार/मूल्यवान प्रकाष्ठ के हैं, जो पुराने/विभिन्न प्रकार के रोगों से रोगग्रस्त हैं जिनकी फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट आ चुकी है तथा बाग स्वामी के लिये अलाभकारी है।

5–अतः अधोलिखित प्रार्थी को इन वृक्षों के पातन की अनुज्ञा प्रभारी उ0स0द0 केन्द्र बहादराबाद हरिद्वार की संस्तुति के आधार पर एतद्द्वारा दी जाती है तथा अनुज्ञा जारी होने के दिनांक से 15 दिन की अवधि के लिये वैध होगी। एवं अनुज्ञा में उल्लेखित संख्या से अधिक पातन करने पर यह स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी एवं विधी संगत कार्यवाही अपनायी जायेगी। किसी भी प्रकार के वाद/विवाद की स्थिति को अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में नहीं लाया जाता है या जानबूझकर छिपाया जाता है तो इस स्थिति में पातन अनुज्ञा निरस्त समझी जायेगी।

6–उस भूमि का विवरण जिस पर पातन हेतु अनुज्ञा दी जानी है(खसरा खतौनी की नवीनतम सत्यापित प्रतिलिपि/शपथ–पत्र व नक्शा) जो इस कार्यालय में प्रस्तुत किये गये है का विवरण निम्न प्रकार है:–

जिला	तहसील	थाना	ग्राम	खाता/खतौनी/खसरा नम्बर
हरिद्वार	हरिद्वार	बहादराबाद	बहादराबाद	330

7– वृक्षों का खसरा नम्बरवार विवरण जिनके पातन की अनुज्ञा दी जाती है:–

बाग स्वामी का नाम व पता	खसरा संख्या	खसरे में कुल वृक्षों की संख्या तथा प्रजाति	वृक्षों का विवरण (गोलाई फिट में)								
			0–1	1–2	2–3	3–4	4–5	5–6	6–7	7 से ऊपर	योग
श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री राजाराम निवासी गौरीवाला सिरसा हरियाणा मौजा बहादराबाद, जिला हरिद्वार	330	22 आम बीजू	00 00	00 00	00 00	00 00	00 00	05 00	14 00	03 00	22 00
		योग–	00		00	00	00	05	14	03	22

8–प्रार्थी ने 250/प्रति पेड की दर से कुल 22 आम वृक्षों के सापेक्ष रू0 5500.00 जमानत इस उद्देश्य से अधोहस्ताक्षरी को निरूपित कर दी है कि प्रत्येक काटे गये वृक्षों के बदले दो वृक्ष सफलता पूर्वक लगायेगा। यह धनराशि रू0, 5500.00 डाकघर रोशनाबाद, हरिद्वार के खाता संख्या0 020138033056 से दिनांक 10.12.2024 को जमा हो गई है। यह जमानत एक वर्ष पश्चात पौधों की सफलता का निरीक्षण करने के बाद ही वापस की जा सकती है। फल वृक्षों का निरीक्षण सम्बन्धित प्रभारी उ0स0द0 केन्द्र बहादराबाद से कराने के उपरान्त विधिवत निकासी ली जाये।

9–यदि प्रार्थी द्वारा पेड पातन उपरान्त नये वृक्षों का रोपण न करके कालोनी का निर्माण किया जाता है तो आपकी जमानत धनराशि जब्त कर दी जायेगी। एवं विधी संगत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

10–पातन अनुज्ञा में दी गयी वृक्षों की संख्या से अधिक पेड काटने पर कृषक एवं आवेदन पत्र में अनुबन्धित ठेकेदार के विरूद्ध सम्बन्धित थाने में एफ0आई0आर0 की जायेगी।

मुख्य उद्यान अधिकारी,
हरिद्वार।

पत्रांक /उक्त दिनांक।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रार्थी अथवा उनके प्रतिनिधि को उनके आवेदन पत्र दिनांक 09.10.2024 के कम में इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार निर्धारित समय के अन्तर्गत पातन करना सुनिश्चित करें, निर्धारित समय के पश्चात अनुज्ञा स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

2– प्रभारी उ0स0द0 केन्द्र बहादराबाद को इस निर्देश के साथ कि चिन्हित वृक्षों के पातन के उपरान्त मौके का स्थलीय निरीक्षण कर इस बात की पुष्टि करेंगें कि बाग स्वामी द्वारा मौके पर पातन हेतु चिन्हित वृक्षों से अधिक वृक्षों का पातन तो नही किया गया है तथा पातन उपरान्त जी0ई0आ0 टैग फोटो संलग्न करते हुये सम्बन्धित जॉच आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3– सम्बन्धित थानाध्यक्ष ।

4– उपजिलाधिकारी हरिद्वार

5– प्रभागीय वनाधिकारी,वन प्रभाग हरिद्वार को सूचनार्थ प्रेषित।

6– वन क्षेत्राधिकारी बहादराबाद

Received copy

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

उद्धरण खसरा

नकल खसरा ग्राम ....बहादराबाद........ परगना ....ज्वालापुर........ तहसील ....हरिद्वार........ जिला हरिद्वार सन् १४३२ सन फसली सम्बन्धी

खेत की संख्या	क्षेत्रफल हेक्टेयर या बंदोबस्ती बीघों में	खतौनी की संख्या	खतौनी के भाग 1 के वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम	खतौनी के भाग 1 के वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम (यदि कोई हो)	सिंचाई का साधन	क्षेत्रफल – खरीफ – फसल का नाम	खरीफ – सिंचित	खरीफ – असिंचित	रबी – फसल का नाम	रबी – सिंचित	रबी – असिंचित	जायद – फसल का नाम	जायद – सिंचित	जायद – असिंचित	दो फसली क्षेत्रफल – सिंचित	दो फसली क्षेत्रफल – असिंचित	अकृषिक भूमि – भूमि की श्रेणी	अकृषिक भूमि – क्षेत्रफल	खेत के पूरे बढ़े हुए पेड़ों की संख्या	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
३४९	०.५२८	६६	चिराग स्टेट आदि [illegible] २८६	×		—	—		—		—		—		—		—	—	[illegible]	
३४२	१.२६८	२९६	चिराग स्टेट	—		—	—		—		—									
३६०	५.३६८	६६	चिराग स्टेट आदि [illegible] २८६	—							—	—			—	—				
३६४	२.६८०	६६ / १.६२०	चिराग स्टेट आदि [illegible] २८६	—		—		—		—		—		—	—	—	—	—	[illegible]	
३६५	०.५६४	६६	चिराग स्टेट आदि [illegible] २	—		—	—	—												

प्राप्ति स्थान : सरस्वती स्टेशनी एण्ड काइस, ज्वालापुर, हरिद्वार

Annexure - 7

उद्धरण खसरा

नकल खसरा ग्राम बहादराबाद परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार

१४३२ सन् फसली सम्बन्धी

खेत की संख्या	क्षेत्रफल हेक्टेयर या बंदोबस्ती बीघों में	खतौनी की संख्या	खतौनी के भाग 1 के वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम	खतौनी के भाग 1 के वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम (यदि कोई हो)	सिंचाई का साधन	क्षेत्रफल खरीफ फसल का नाम	खरीफ सिंचित	खरीफ असिंचित	रबी फसल का नाम	रबी सिंचित	रबी असिंचित	जायद फसल का नाम	जायद सिंचित	जायद असिंचित	दो फसली क्षेत्रफल सिंचित	दो फसली क्षेत्रफल असिंचित	अकृषिक भूमि भूमि की श्रेणी	अकृषिक भूमि क्षेत्रफल	खेत के पूरे बढ़े हुए पेड़ों की संख्या	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
323/2	6008	306	अभिषेक त्यागी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	आम 60, सिम्बल 8	

नि. प्रतिलिपि परि० रजिस्टर अनुसार शुल्क प्रतिलिपि

16-8-2024

सन्दीप कुमार

राजस्व ...

तहसील ...

चाई एजेन्सी (स्टेशनर्स एवं प्रिन्टस), अनाज का गोदाम के सामने ज्वालापुर, हरिद्वार मो0. 7055456463

सेवा मे,

श्री मान मुख्य जिला उद्यान अधिकारी महोदय, हरिद्वार
जिला- हरिद्वार।

श्री मान जी,

निवेदन यह है कि प्रार्थी खाता खतौनी नम्बर-307, खसरा नम्बर- 325/2, रकबई- 1.009है0 स्थित मौजा- बहादराबाद, परगना ज्वालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार का मालिक एवं स्वामी है। श्री मान जी हमारी उपरोक्त सम्पत्ति मे 60 पेड आम के खडे हुए है जो कि बहुत हीपुराने है और अधिक पुराने हेाने के कारण फसल नही देते है और रोग से भी पीडित होने लगे है जिनका दोबारा जीर्णोद्वार नही किया जा सकता है इसलिए प्रार्थी उपरोक्त 60 पेड आम के कटवाकर उनके स्थान पर नई किस्म के अच्छे पेड लगाना चाहता है जिसके लिए माननीय महोदय की अनुमति की आवश्यकता है जो कि प्रदान की जानी आवश्यक एवं प्रार्थनीय है।

अतः श्री मान जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त तथ्यो को मददेनजर रखते हुए प्रार्थी को उपरोक्त 60 पेड आम के कटवाने व उनके स्थान परनई किस्म के अच्छे पेड लगाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करे, आपकी अति कृपा होगी।

दिनांक- 21/09/2024

प्रार्थी (हस्ताक्षर) Abhishek Tyagi अभिषेक त्यागी

अभिषेक त्यागी पुत्र श्री सतीश त्यागी
निवासी- निकट सोन्धी नर्सिग होम म्यूर विहार
आर्य नगर ज्वालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार।

IN-UK46287239798050W

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

सत्यमेव जयते

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UK46287239798050W
Certificate Issued Date	:	21-Sep-2024 02:45 PM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ uk1304904/ ROSHNABAD/ UK-HD
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UKUK130490499573365114270W
Purchased by	:	ABHISHEK TYAGI
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	NA
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	ABHISHEK TYAGI
Second Party	:	SHAKSHAM ADHIKARI
Stamp Duty Paid By	:	ABHISHEK TYAGI
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

नोटरी ... उत्तराखण्ड सरकार, हरिद्वार NOTARIAL

अखिलेश कुमार, को. नं. 252/18
स्टाम्प विक्रेता रोशनाबाद, हरिद्वार

10, 830
21/9/24

Please write or type below this line

(शपथपत्र)
============

सेवा:- श्री मान मुख्य जिला आन अधिकारी महोदय, हरिद्वार।

शपथपत्र मिनजानिब:- अभिषेक त्यागी पुत्र श्री सतीश त्यागी निवासी- निकट सौन्धी नर्सिंग होम म्यूर विहार आर्य नगर ज्वालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार।
===============

मै शपथपूर्वक निम्न कथन करता हूँ कि:-

(1) यहकि मेरा उपरोक्त नाम एवं पता सबसद व सही है।

(अभिषेक त्यागी)

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at www.shcilestamp.com or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

§2§

§2§ यहकि शपथकर्ता खाता खतौनी नम्बर- 307, खसरा नम्बर- 325/2, रकबई- 1.009 है० स्थित मौजा- बहादराबाद, तहसील व जिला हरिद्वार का मालिक एवं स्वामी है।

§3§ यहकि शपथकर्ता की उपरोक्त सम्पत्ति मे 60 पेड़ आम के खड़े हुए है जो कि बहुत अधिक पुराने है और अधिक पुराने होने के कारण यह फसल नहीं देते है और बीमारी से भी पीड़ित होने लगे है इसलिए शपथकर्ता उक्त पेड़ों को कटवाकर उनके स्थान पर नई किस्म के अच्छे पेड़ लगाना चाहता है जिसके लिए अनुमति प्रदान की जानी आवश्यक एवं प्रार्थनीय है।

यहकि मेरे उपरोक्त शपथपत्र का कुल कथन सत्य व सही है कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है और ना ही झूठ बोला गया है ईश्वर सच बोलने मे मेरी मददकरे।

दिनांक- 21/09/2024

ह० शपथकर्ता
(अभिषेक त्यागी)
Abhishek Tyagi

ह० शपथकर्ता
(अभिषेक त्यागी)
Abhishek Tyagi

प्रमाणित
21/9/24

21/9/24

कार्यालय मुख्य उद्यान अधिकारी, हरिद्वार

पत्रांक 1833/पातन जांच/2024–25 दिनांक 28 सितम्बर, 2024

प्रभारी,
उद्यान सचल दल केन्द्र
बहादराबाद, हरिद्वार।

विषयः– श्री अभिषेक त्यागी पुत्र श्री सतीश त्यागी निवासी – निकट सोन्धी नर्सिंग होम न्यूर बिहार आर्य नगर, ज्वालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार के आम बाग में 60 आम वृक्षों पातन हेतु जांच आख्या के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक निम्नलिखित आवेदन पत्र मूल रूप में संलग्नको सहित प्रेषित करते हुये आपको निर्देशित किया जाता कि आप प्रशनगत वृक्षों के पातन हेतु उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976(उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) तथा वन विधि मार्ग दर्शिका में प्रदत्त निर्देशों के आलोक में स्वय स्थलीय निरीक्षण करते हुये निम्नलिखित विन्दुओं पर अपनी लिखित आख्या एवं पातन हेतु अनुज्ञा देय है अथवा नही स्पष्ट करना सुनिश्चित करें।

1– प्रार्थी कृषि योग्य उस भूमि का स्वामी है जिस पर खडे वृक्षों के पातन हेतु आवेदन किया गया है।
2– प्रार्थी द्वारा संलग्न किये गये पहचान पत्र को मूल प्रति से मिलान किया जाय।
3– प्रश्नगत भूखण्ड पर खडे कुल वृक्षों की संख्या तथा पातन योग्य वृक्षों की संख्या स्पष्ट की जाय।
4– प्रश्नगत वृक्ष पातन योग्य क्यों है कारण सहित स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।
5– प्रार्थी द्वारा पूर्व में भी वृक्ष पातन किये गये है यदि हॉ तो विवरण प्रस्तुत करें।
6– पातन योग्य वृक्षों के मौके पर प्रार्थी के साथ आप अपना जियो टैग लोकेशन के साथ फोंटो संलग्न करें।
7– पातन की अनुज्ञा यदि नियमानुसार जारी की जाती हे तो पातन उपरान्त भी जियो टैग का फोंटो संलग्न करना आवश्यक होगा।
8 –यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पातन अनुज्ञा लेने वाले की भूमि उसी के नाम की दर्ज हो।
9– आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रपत्रों की भलीभॉति जॉच की ली जाय।
10–पातन अनुज्ञा तथा पातन उपरान्त नियमानुसार पौध रोपण की जियों टैग फोटो भी पातन के 15 दिन के अन्तर्गत प्रस्तुत करें।
11–आवेदक द्वारा जिस उद्यान से वृक्षों के पातन हेतु अनुमति मांगी जा रही है उस उद्यान का नक्शा नजरिया संलग्न करते हुये बाग में स्थित समस्त वृक्षों की संख्या प्रदर्शित कर,पातन हेतु अनुमति मांगे जाने वाले वृक्षों को चिन्हित करना आवश्यक होगा, साथ ही बाग के चारों दिशाओं में किस कृषक की भूमि है का भी अंकन किया जाय तथा निरीक्षण के समय बागस्वामी के हस्ताक्षर कराना भी आवश्यक होगा।
12–मूल आवेदन पत्र संलग्नको सहित जॉच आख्या के साथ मूल रूप में इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।

संलग्नः– मूल आवेदन पत्र संलग्नकों सहित

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

Abhishek Tyagi
28/9/24
O/c

[Type text]

संलग्न-(7)

निजी फल वृक्षों के पातन हेतु निरीक्षण आख्या का प्रारूप

आवेदक का नाम- अभिषेक त्यागी mNo - 9719760801
पिता का नाम- श्री सतीश त्यागी
पता मो० न० सहित- निकट सोन्धी नर्सिंग होम, मयूर विहार आर्यनगर ज्वालापुर
आवेदक के आवेदन पत्र के अनुसार बाग में कुल वृक्षों की संख्या 60
आवेदक द्वारा पातन हेतु आवेदित वृक्षों की संख्या 60
सम्बन्धित क्षेत्र के डाकघर/थाने का नाम- बहादराबाद
पातन हेतु आवेदक द्वारा नामित ठेकेदार का नाम व पता मैसर्स 80 मौ० अजीज, पिरान कलियर महमूदपुर
निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम- पवन चौहान - निरीक्षक
कार्यालय का नाम व पता- उद्यान सचल दल केन्द्र - बहादराबाद

1-प्रार्थी कृषि योग्य उस भूमि का स्वामी है जिस पर खड़े वृक्षों के पातन हेतु आवेदन किया गया है। हाँ/नहीं
2-प्रार्थी द्वारा संलग्न किये गये पहचान पत्र को मूल प्रति से मिलान किया गया हाँ/नहीं
3-प्रश्नगत भूखण्ड खसरा संख्या 325/2 में आम के 60 वृक्ष खड़े है तथा आवेदित 60 वृक्षों के सापेक्ष आम के 55 वृक्ष पातन योग्य पाये गये है।
4-प्रश्नगत वृक्षों के पातन किये जाने का ठोस कारण वृक्ष बीजू प्रजाति के है अधिक पुराने होने के कारण फल देने की क्षमता खो चुके है जिससे कृषक को भारी आर्थिक हानि हो रही है कृषक इनके स्थान पर उच्च गुणवत्ता के उन्नतशील कलमदार वृक्ष रोपण करना चाहता है। कुछ वृक्ष गुमोसिस से पीड़ित है।
5-पातन हेतु योग्य वृक्षों की उम्र लगभग 80 वर्ष
6-प्रार्थी द्वारा पूर्व में भी वृक्ष पातन किये गये है यदि हाँ तो उसका पूर्ण विवरण नहीं
हाँ/नहीं
7-पातन योग्य वृक्षों के मौके पर प्रार्थी के साथ निरीक्षकर्ता का जियो टैग लोकेशन के साथ फोटो संलग्न हाँ/नहीं
8-पातन की अनुज्ञा यदि नियमानुसार जारी की जाती है तो पातन उपरान्त भी जियो टैग का फोटो प्रस्तुत कर दिया जायेगा हाँ/नहीं
9-आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रपत्रों की भली भाँति जाँच कर ली गई है। हाँ/नहीं
10- उद्यान का नक्शा नजरिया संलग्न हाँ/नहीं
हाँ/नहीं
11-

पातन योग्य वृक्षों का विवरण

क्र0सं0	पातन हेतु संस्तुत किये गये वृक्षों का विवरण										अभ्युक्ति
	प्रजाति	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7 से अधिक	कुल योग	
01	बीजू	—	—	—	—	—	9	9	37	55	
02		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	योग	—	—	—	—	—	9	9	37	55	

12-निरीक्षण के समय बाग स्वामी/साक्षी का विवरण:-
हस्ताक्षर Abhishek Tyagi
1-नाम- अभिषेक त्यागी
2-पिता का नाम- अभिषेक कुमार पुत्र श्री सतीश त्यागी
3-पता- निकट सोन्धी नर्सिंग होम मयूर विहार आर्यनगर ज्वालापुर
4-मो0न0- 971976081

निरीक्षणकर्ता के
हस्ताक्षर
नाम- प्रभारी
पदनाम- उ0स0द0केन्द्र बहादराबाद

कार्यालय-प्रभारी उद्यान सचल दल केन्द्र

पत्रांक 46 /पातन/जाँच दिनांक हरिद्वार 05 oct 2024

प्रतिलिपि-मुख्य उद्यान अधिकारी महोदय को सेवा में निरीक्षण आदेश संख्या 1833 दिनांक 29/9/24 के क्रम में आवेदक के मूल दस्तावेज सहित निरीक्षण आख्या की मूल प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
संलग्न-

ह0
नाम-
पदनाम- प्रभारी
कार्यालय का नाम- उ0स0द0केन्द्र बहादराबाद

Scanned with CamScanner

आदेश

भारतीय संविधान की धारा 299 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड सरकार की अधिसूचना संख्या 765/7–127/1965 दिनांक 27.04.1983 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के साथ पठित 3–6 में (उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड सरकार के राज्यपाल के अनुसार) दिये गये अधिकारों के अनुसार अधोहस्ताक्षरी प्रतिभूति वचनबद्ध करने एवं अवमुक्त करने हेतु प्राधिकृत है।

उपरोक्त क्रम में श्री अभिषेक त्यागी श्री सतीश त्यागी, निवासी मयूर विहार, आर्यनगर, ज्वालापुर, जिला हरिद्वार ने अपने आवेदन पत्र दिनांक 21.09.2024 के द्वारा 30 आम वृक्षों के पातन हेतु आवेदन किया गया है, पातन हेतु आवेदित 60 वृक्षों का निरीक्षण प्रभारी उद्यान सचल दल केन्द्र, बहादराबाद से कराया गया है निरीक्षण आख्यानुसार आवेदित वृक्षों के सापेक्ष कुल 55 आम वृक्ष पातन योग्य पाये गये, सम्बन्धित बाग स्वामी, पातन के उपरान्त पुराने पेड के एवज में नये पेड लगाने हेतु रू0 250.00 प्रति वृक्ष की दर से कुल 55 वृक्ष की धनराशि रू0 13750.00 मुख्य उद्यान अधिकारी हरिद्वार के पक्ष में बन्धक कराते हुये डाकघर के बचत पत्र/बैंक सावधि जमा, मूल रूप से जमा करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त स्वीकृति संबन्धित प्रभारी द्वारा प्राप्त संस्तुति के क्रम में जारी की जा रही है। इस आदेश में उल्लेखित फलदार वृक्ष की संख्या से अधिक वृक्षों के पातन किये जाने पर यह स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी एवं नियम संगत वैद्यानिक कार्यवाही अपनाई जायेगी एवं भूमि पर किसी भी प्रकार के वाद/विवाद की स्थिति को यदि आवेदनकर्ता के द्वारा अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में नहीं लाया जाता है या जानबूझाकर छिपाया जाता है तो पातन अनुज्ञा निरस्त कर दी जाएगी। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदनकर्ता की होगी।

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार।
O/c

कार्यालय मुख्य उद्यान अधिकारी हरिद्वार

पत्रांक 1973/पातन--जमानत/2024–25 दिनांक हरिद्वार 08/10/2024।

प्रतिलिपिः– 1–श्री अभिषेक त्यागी श्री सतीश त्यागी, निवासी मयूर विहार, आर्यनगर, ज्वालापुर, जिला हरिद्वार को उक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2–डाकपाल, डाकघर, बहादराबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
3–शाखा प्रबन्धक, बहादराबाद को सूचनार्थ।

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार।
O/c

कार्यालय मुख्य उद्यान अधिकारी हरिद्वार

पातन अनुज्ञा संख्या /फ0वृ0पा0/2024-25 दिनांक हरिद्वार 2024

(अ) ... (8)

पातन अनुज्ञा

उत्तराखण्ड शासन वन एवं पर्यावरण अनुभाग-3 के पत्र संख्या 927/X-3-12/दिनांक 03.12.2012 एवं उत्तर प्रदेश अधिनियम 45/1976 यथासंशोधित की धारा-3 की उपधारा(1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी निम्नलिखित को निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत की जाती है।

1-अधोलिखित प्रार्थी श्री अभिषेक त्यागी पुत्र श्री सतीश त्यागी निवासी मयूर विहार आर्यनगर ज्वालापुर, तहसील हरिद्वार, जिला हरिद्वार ने अधोहस्ताक्षरी से अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 21.09.2024 के द्वारा अपनी निजी भूमि में स्थित बाग से फल वृक्षों के पातन की अनुज्ञा मांगी गई है।

2-अधोहस्ताक्षरी ने प्रभारी उ0रा0द0 केन्द्र, बहादराबाद से बाग/पातन क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण करा लिया है व स्वयं को संतुष्ट कर लिया है।

3-अधोलिखित पेड़ प्रार्थी की व्यक्तिगत भूमि में स्थित बाग मे खड़े हैं।

4-ये पेड़ पूर्णतः प्रतिबन्धित प्रजाति के है तथा हरे हैं। ये फलदार/मूल्यवान प्रकाष्ठ के हैं, जो पुराने/विभिन्न प्रकार के रोगों से रोग्रस्त है जिनकी फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट आ चुकी है तथा बाग स्वामी के लिये अलाभकारी है। आम वृक्ष आंधी तुफान के कारण मकान पर गिरकर जानमाल व सम्पत्ति को नुकसान होगा।

5-अतः अधोलिखित प्रार्थी को इन वृक्षों के पातन की अनुज्ञा प्रभारी उ0रा0द0 केन्द्र बहादराबाद/मु0उ0अधिकारी मुख्यालय हरिद्वार की संस्तुति के आधार पर एतद्द्वारा दी जाती है तथा अनुज्ञा जारी होने के दिनांक से 20 दिन की अवधि के लिये वैध होगी। एवं अनुज्ञा में उल्लेखित संख्या से अधिक पातन करने पर यह स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी एवं विधी संगत कार्यवाही अपनायी जायेगी। किसी भी प्रकार के वाद/विवाद की स्थिति में पातन अनुज्ञा निरस्त समझी जायेगी।

6-उस भूमि का विवरण जिस पर पातन हेतु अनुज्ञा दी जानी है(खसरा खतौनी की नवीनतम सत्यापित प्रतिलिपि/शपथ-पत्र व नक्शा) जो इस कार्यालय में प्रस्तुत किये गये है का विवरण निम्न प्रकार है:-

जिला	तहसील	थाना	ग्राम	खाता/खतौनी/खसरा नम्बर
हरिद्वार	हरिद्वार	बहादराबाद	बहादराबाद	325/2

7- वृक्षों का खसरा नम्बरवार विवरण जिनके पातन की अनुज्ञा दी जाती है:-

बाग स्वामी का नाम व पता	खसरा संख्या	खसरे में कुल वृक्षों की संख्या तथा प्रजाति	वृक्षों का विवरण व्यास(फुट) में								
			0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7 से ऊपर	योग
श्री अभिषेक त्यागी पुत्र श्री सतीश त्यागी निवासी मयूर विहार आर्यनगर ज्वालापुरी, हरिद्वार	325/2	69 आम वृक्ष बीजू	00 00	00 00	00 00	00 00	00 00	09 00	09 00	37 00	55
		योग-	00	00	00	00	00	09	09	37	55

8-प्रार्थी ने 250/-प्रति पेड की दर से कुल रू0 250.00 के सापेक्ष रू0 13750.00 जमानत इस उद्देश्य से अधोहस्ताक्षरी को निरूपित कर दी है कि प्रत्येक काटे गये वृक्षों के बदले दो वृक्ष सफलता पूर्वक लगायेगा। यह धनराशि रू0,13750.00 इडियन बैंक सं0 7884323424 दिनांक 08.10.2024 से जमा हो गई है। यह जमानत एक वर्ष पश्चात पौधों की सफलता का निरीक्षण करने के बाद ही वापस की जा सकती है। फल वृक्षों का निरीक्षण सम्बन्धित प्रभारी उ0रा0द0 केन्द्र बहादराबाद से कराने के उपरान्त विधिवत निकासी ली जाये।

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार
O/C

पत्रांक 2026 /उक्त दिनांक। 10/10/24

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रार्थी को रजिस्टर्ड डाक द्वारा उनके आवेदन पत्र दिनांक 21.09.2024 के कम में इस आशय से कि उपरोक्तानुसार निर्धारित समय के अन्तर्गत पातन करना सुनिश्चित करें, निर्धारित समय के पश्चात अनुज्ञा स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

2- प्रभारी उ0रा0द0 केन्द्र बहादराबाद को इस निर्देश के साथ कि चिन्हित वृक्षों के पातन के उपरान्त मौके का स्थलीय निरीक्षण कर इस बात की पुष्टि करेगें कि बाग स्वामी द्वारा मौके पर पातन हेतु चिन्हित वृक्षों से अधिक वृक्षों का पातन तो नही किया गया है तथा पातन उपरान्त जी0ई0आ0 टैग फोटो संलग्न करते हुये सम्बन्धित जॉच आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3- सम्बन्धित थानाध्यक्ष।

4- उपजिलाधिकारी लक्सर/हरिद्वार/रूड़की

5- प्रभारी वनाधिकारी,हरिद्वार को सूचनार्थ प्रेषित।

6- वन क्षेत्राधिकारी हरिद्वार

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार
O/C

Annexure - 8

प्रभारी उद्यान सचल दल बहादराबाद

महोदय

अवगत कराना है कि मु० उ० अ० कार्यालय द्वारा दी गई पातन अनुज्ञा सं० 2026 दिनांक 10/10/2024 के द्वारा 55 बीजू आम की दी गई थी।

महोदय, उक्त वृक्षों के पातन करते समय कुछ अन्य वृक्षों के ऊपर गिर गए थे, वृक्ष गिरने से 5 वृक्ष टूट गए थे; जिस कारण उन वृक्षों का प्रार्थी द्वारा पातन कराना पड़ा. महोदय उक्त वृक्ष बीजू प्रजाति होने के कारण फल क्षमता एवं सूख रहे थे, जिससे प्रार्थी का काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा था। जिस कारण प्रार्थी द्वारा आम वृक्षों का पातन किया गया। वर्तमान में प्रार्थी द्वारा अच्छे किस्म के फलदार वृक्षों का रोपण कर दिया गया है। जिसकी फोटो संलग्न है।

अत: महोदय मेरे द्वारा पातन से अधिक जो 5 वृक्षों का पातन किया गया है मैं उसका जुर्माना देने को तैयार हूँ।

पातन करें
मु० उ० अ०
19/10/24

दिनांक :- 18/10/24

Abhishek Tyagi
प्रार्थी
अभिषेक त्यागी
H.No. 1 Magan Vihar
Arya Nagar Jwp. Hdr.
Mob. No - 9719760801

सेवा में, मुख्य उद्यान अधिकारी,
कारण कुछ भी रहा हो 5 आम वृक्षों का अवैध पातन हुआ है अत: 5000/ प्रति वृक्ष की दर से 5000×5 = 25000/- अर्थ दण्ड हेतु संस्तुति की जाती है।

(हस्ताक्षर)
प्रभारी
उ0स0द0केन्द्र
बहादराबाद

अर्थ दण्ड आदेश

श्री अभिषेक त्यागी पुत्र श्री सतीश त्यागी, निवासी मयूर विहार, ज्वालापुर, बहादराबाद, जिला हरिद्वार द्वारा बिना विभाग की अनुमति के अपने बाग से 05 जीवित आम वृक्षों का पातन किये जाने पर की गई विभागीय कार्यवाही में दोषी पाये गये, उक्त जीवित वृक्षों को सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा के अभाव में पातन किया गया है, जो कि भारतीय वन (उत्तरांचल संशोधन) संरक्षण अधिनियम की धारा 42 की उपधार (1) का स्पष्ठ उल्लंघन है।

अतः अधिनियम के उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर कृषक के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अच्छी किस्म के फलदार पौधों का रोपण करने के उपरान्त प्रभारी की संस्तुति के आधार पर मै मुख्य उद्यान अधिकारी,हरिद्वार शासनादेश संख्या 927/IX-3-2012 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री अभिषेक त्यागी पुत्र श्री सतीश त्यागी, निवासी मयूर विहार, ज्वालापुर, बहादराबाद, जिला हरिद्वार के विरूद्ध 05 जीवित आम वृक्षों के पातन पर रू0, 5000.00 प्रति वृक्ष की दर से कुल धनराशि रू0, 25000.00 (रू0 पच्चीस हजार मात्र) का अर्थ दण्ड निर्धारित करते हुये उन्हे निर्देशित करता हूँ कि वे तत्काल रू0, 25000.00 (रू0 पच्चीस हजार मात्र) प्रभारी उ0स0द0केन्द्र, बहदराबाद में जमा करना सुनिश्चित करें।

मुख्य उद्यान अधिकारी,
हरिद्वार
O/C [signature]

कार्यालय– मुख्य उद्यान अधिकारी हरिद्वार

पत्रांक 2266/अवैध पातन/2024–25 दिनांक हरिद्वार 27/10/ 2024

प्रतिलिपिः–1– श्री अभिषेक त्यागी पुत्र श्री सतीश त्यागी, निवासी मयूर विहार, ज्वालापुर, बहादराबाद, जिला हरिद्वार को उपरोक्तानुसार अनुपलनार्थ।

2– प्रभारी उ0स0द0केन्द्र, बहादराबाद को इस निर्देश के साथ कि रू0, 25000.00 (रू0 पच्चीस हजार)मात्र श्री फूल सिंह पुत्र श्री किशन सिंह निवासी/ग्राम–भलस्वागाज, इकबालपुर, जिला हरिद्वार से प्राप्त कर विभागीय कैश रसीद उपलब्ध कराते हुये धनराशि विभागीय लेखाशीर्षक में जमा करना सुनिश्चित करें

3– प्रभारी उद्यान सचल दल केन्द्र बहादराबाद।

4– थाना प्रभारी बहादराबाद हरिद्वार

मुख्य उद्यान अधिकारी,
हरिद्वार
O/C [signature]

अवैध फलदार वृक्ष पातन जुर्माना।

डी0–2

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड

कैश रसीद बुक

संख्या .... रसीद संख्या 184379 .... दिनांक 28/10/2024

0 .... अभिषेक त्यागी पुत्र श्री सतीश त्यागी .... से रु0 ....

मे) .... में प्राप्त हुई।

मयूर विहार ज्वालापुर

बेची गयी वस्तुओं / किये गये काम का वर्णन	परिमाण	मूल्य	धनराशि		प्रपंजी (Ledger) पृष्ठ
		दर	रु0	पै0	
(1) आम वृक्ष	5	5000/	25000/-		
योग रु0 (पच्चीस हजार मात्र)		मात्र	25000/-		

प्रतिहस्ताक्षरित

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर मुहर सहित।

प्रभारी / कार्यालयाध्यक्ष

प्रभारी
उद्यान सचल दल केन्द्र
बहादराबाद (हरिद्वार)

0यू0 (आर0ई0) 1 उद्यान / 104–5–7–2011–5,000 बुक्स (कम्प्यूटर / ऑफसेट)।

Annexure - 9

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार

दूरभाष/फैक्स 01334 220271, email : dfo_hardwar@rediffmail.com
पत्रांक : 3115 /23-3, हरिद्वार दिनांक : 20/12/2024

पातन अनुज्ञा

श्री अभिषेक त्यागी पुत्र श्री सतीश त्यागी, निवासी-मयूर विहार ज्वालापुर, पो0 व थाना रानीपुर तहसील व जिला हरिद्वार के आवेदन पत्र के क्रम में उनकी निजी नाप भूमि के खसरा सं0 326 में स्थित बहादराबाद जिला हरिद्वार में खड़े सेमल(हरे खड़े) प्रजाति के कुल 07 वृक्षों को पातन हेतु वन क्षेत्राधिकारी, हरिद्वार रेंज द्वारा अपने पत्रांक-228/23-3, दिनांक 18.10.2024 की रिपोर्ट/संस्तुति पर उप प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार द्वारा संस्तुति कर प्रेषित की गई है। वन क्षेत्राधिकारी, हरिद्वार के पत्रांक 355/23-3, दिनांक 18.12.2024 से 05 वृक्षों की छपान रिपोर्ट मय एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0(सं0 7935440642) सहित इस कार्यालय को प्रस्तुत की गयी है। उपरोक्त संस्तुति एवं जाँच उपरान्त उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976, (उत्तराखण्ड में यथा-प्रवृत्त) की धारा-5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न विवरणानुसार वृक्षों की पातन अनुमति एतद् निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है।

क्र0सं0	वृक्ष प्रजाति	व्यास वर्ग	कुल संख्या	अभ्युक्ति
01	सेमल(हरे खड़े)	7-8-01 9 -03 8-9-01	05	वन क्षेत्राधिकारी, हरिद्वार रेंज की जांच आख्यानुसार उक्त वृक्ष फसल को क्षति पहुंचा रहे है।

1- उक्त वृक्ष पातन की अनुमति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन दी जाती है –

1. पत्र जारी होने के बाद 07 दिन तक के लिए यह पातन अनुज्ञा वैध होगी। भू-स्वामी द्वारा निश्चित रूप से इस अवधि में वृक्षों का पातन करना होगा। उक्त 07 दिनों के बाद वृक्ष पातन हेतु कोई अवधि विस्तार नहीं दिया जायेगा।
2. उक्त वृक्षों की पातन अनुज्ञा उत्तराखण्ड शासन वन अनुभाग-3 संख्या 115/X-3-24/05(11)/2022, दिनांक 11 मार्च 2024 द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अपना समुपयोज्य व्यास प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्गत की जा रही है।
3. पत्र जारी होने के 01 माह के अन्दर उक्त वृक्षों के पातन के पश्चात आवश्यकतानुसार उत्तराखण्ड इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज अभिवहन नियमावली-2012 के प्राविधानानुसार प्रकाष्ठ की निकासी हेतु सम्बन्धित रेंज कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
4. उक्त पेड़ों के पातन स्थलों का किसी भी समय वन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी/कर्मचारी द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा।
5. उक्त वृक्षों के पातन हेतु भू-स्वामी द्वारा अपने आवेदन पत्र में किसी भी पत्र में तथ्य का किसी भी मय असत्य पाये जाने पर पातन अनुज्ञा को निरस्त माना जायेगा।
6. उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम-1976 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा-7 के प्राविधानानुसार प्रत्येक पातित वृक्ष के सापेक्ष दुगने संख्या में पौधों का रोपण चिहित स्थलों पर भू-स्वामी द्वारा स्वयं के व्यय पर किया जायेगा। रोपित पौधों की देख-रेख सम्बन्धित भू-स्वामी द्वारा किया जायेगा। वृक्षारोपण हेतु स्थल चयन प्रजाति का चयन व रोपित पौध की जीवितता सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
7. वृक्ष के स्वामित्व को लेकर यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो विभाग इसका जिम्मेदार नहीं होगा।
8. पातन सूर्योदय के बाद व सूर्यास्त तक ही मान्य होगी।
9. यह सुनिश्चित कर लेवे कि यह पातन अनुज्ञा केवल उक्त वृक्ष के लिये ही है। इसकी आड़ में अन्य वृक्षों का पातन न हो।
10. आवेदक को वृक्षों के पातन की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ दी जाती है कि पातन उपरान्त सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी व उप प्रभागीय वनाधिकारी के निरीक्षण के पश्चात ही पातित वृक्षों की जड़ों का खुदान किया जाये।
11. शर्तों का उल्लंघन होने पर पातन अनुज्ञा स्वतः निरस्त हो जायेगा एवं समस्त प्रकाष्ठ को अवैध मानते हुए कार्यवाही की जायेगी।

प्रभागीय वनाधिकारी,
हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार

पत्रांक : 3115 /(1) तद्‌दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. उप प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार।
2. उप जिलाधिकारी, हरिद्वार।
3. वन क्षेत्राधिकारी, हरिद्वार रेंज।
4. सम्बन्धित थाना प्रभारी।
5. श्री अभिषेक त्यागी पुत्र श्री सतीश त्यागी, निवासी-मयूर विहार ज्वालापुर, पो0 व थाना रानीपुर तहसील व जिला हरिद्वार।

प्रभागीय वनाधिकारी,
हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार

सेवा मे,

थानाध्यक्ष बहादराबाद

हरिद्वार।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि प्रार्थी की जमीन खसरा संख्या 325/2 पर 03 सेमल वृक्ष खड़े थे। संबन्धित नसीम पुत्र अजीज निवासी ग्राम महमूदपुर पिरयान कलियर द्वारा मुझे बिना बताये वृक्षों का अवैध पातन कर दिया गया, और प्रकाष्ठ उपलब्ध नही है।
कृपया कर संबन्धित के खिलाफ कार्यवाही करने का कष्ट करें।

Abhishek Tyagi

दिनांक :- 24/12/2024

प्रार्थीः–

अभिषेक त्यागी पुत्र श्री सतीश त्यागी
निवासी – 01 मयूर विहार, आर्यनगर
ज्वालापुर, हरिद्वार।
मो0न0. 9719760801

प्रतिलिपि :- प्रभागीय वन अधिकारी बहादराबाद
(महोदय को आवश्यक कार्यवाई हेतु)

थाना बहादराबाद
उत्तराखण्ड
जनपद हरिद्वार

उद्धरण खसरा

नकल खसरा ग्राम ......बेद्दाद्दशब्बाद...... परगना ......ज्वालापुर...... तहसील ......ज..... जिला हरिद्वार   १४३२   सन्   सन फसली सम्बन्धी

खेत की संख्या	क्षेत्रफल हेक्टेयर या पंचोवस्सी बीघों में	खतौनी की संख्या	खतौनी के भाग 1 के वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम	खतौनी के भाग 1 के वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम (यदि कोई हो)	सिंचाई का साधन	क्षेत्रफल: खरीफ: फसल का नाम	क्षेत्रफल: खरीफ: सिंचित	क्षेत्रफल: खरीफ: असिंचित	क्षेत्रफल: रबी: फसल का नाम	क्षेत्रफल: रबी: सिंचित	क्षेत्रफल: रबी: असिंचित	क्षेत्रफल: जायद: फसल का नाम	क्षेत्रफल: जायद: सिंचित	क्षेत्रफल: जायद: असिंचित	दो फसली क्षेत्रफल: सिंचित	दो फसली क्षेत्रफल: असिंचित	अकृषिक भूमि: भूमि की श्रेणी	अकृषिक भूमि: क्षेत्रफल	खेत के पूरे बढ़े हुए पेड़ों की संख्या	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
३३४/1	०.३६८	६६	दीपिका त्यागी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	आम सिन्धात १२ / ०१	
३३४/2	०.६६३	६६	दीपिका त्यागी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	आम — १२	

सत्यप्रतिलिपि पीरो २६ मे आवेदन शुल्क प्राप्त किया

16-8-2024

सन्दीप कुमार
राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र-
तहसील व जिला हरिद्वार

सरस्वती स्टेशनी एण्ड काइस, ज्वालापुर, हरिद्वार

सेवा मे,

श्री मान मुख्य जिला उद्यान अधिकारी महोदय, हरिद्वार।
जिला- हरिद्वार।

श्री मान जी,

निवेदन यह है कि प्रार्थिया खाता खतौनी नम्बर- 67 खसरा नम्बर- 335/1 रकबई-0.968है0 व खसरा नम्बर- 335/2म0, रकबई 0.763है0 स्थित मौजा- बहादराबाद, परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार की मालिक एवं स्वामिनी है। श्री मान जी हमारी उपरोक्त सम्पत्ति मे आम का बाग लगा हुआ है जिसमे कुल 25 पेड आम के खडे हुए जो कि बहुत अधिक पुराने है और जिनकी उम्र करीब 55-60 साल है इस कारण यह पेड फसल नही देते है जिस कारण से मै अपनी सम्पत्ति से पूर्णतया लाभान्वित नही हो पा रही हूँ इसलिए प्रार्थिया उपरोक्त 25 पेड आम के कटवाकर उनके स्थान पर नई किस्म के अच्छे पेड लगाना चाहती है जिसके लिए अनुमति प्रदान की जानी आवश्यक एवं प्रार्थनीय है।

9/10/24

अतः श्री मान जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त तथ्यो को मद्देनजर रखते हुए प्रार्थीया को उसकी सम्पत्ति मे खडे आम के 25 पेड कटवाने व उसके स्थान पर नई किस्म के अच्छे पेड लगाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें, आपकी अतिकृपा होगी।

दिनांक- 09/10/2024

प्रार्थिया

Dipika Tyagi

दीपिका त्यागी पत्नी श्री मुदित कुमार त्यागी
निवासी- 01, निकट सोन्धी नर्सिंग होम म्यूर विहार आर्य नगर ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार।

IN-UK50047424718149W

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

सत्यमेव जयते

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UK50047424718149W
Certificate Issued Date	:	09-Oct-2024 10:20 AM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ uk1304904/ ROSHNABAD/ UK-HD
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UKUK130490407111021501917W
Purchased by	:	DIPIKA TYAGI
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	NA
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	DIPIKA TYAGI
Second Party	:	SHAKSHAM ADHIKARI
Stamp Duty Paid By	:	DIPIKA TYAGI
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

पं. सं. 252/16

NOTARIAL NOTARIAL

उत्तराखण्ड सरकार

Please write or type below this line

{शपथपत्र}

समक्ष:- श्री मान मुख्य जिला उद्यान अधिकारी महोदय, हरिद्वार।

शपथपत्र निवेदक:- दीपिका त्यागी पत्नी मुदित कुमार त्यागी निवासी-01, निकट सोन्धी नर्सिंग होम म्यूर विहार आर्य नगर ज्वालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार।

मै शपथपूर्वक निम्न कथन करती हूँ कि:-

{1} यहकि मेरा उपरोक्त नाम एवं पता सबसच व सही है।

Dipika Tyagi

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.

§2§

§2§ यहकि शपथकर्ता खाता खतौनी नम्बर- 67 के खसरा नम्बर- 335/1, रकबई-0.968है0 व खसरा नम्बर- 335/2म0, रकबई- 0.763है0 स्थित मौजा- बहादराबाद, परगना ज्वालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार की मालिक एवं स्वामिनी है।

§3§ यहकि श्री मान जी हमारी उपरोक्त सम्पत्ति मे आम का बाग लगा हुआ है जिसमे कुल 25 पेड आम के खडे हुए है जो कि बहुत ही पुराने है और अधिक पुराने होने के कारण यह फसल नही देते है जिस कारण से मै अपनी सम्पत्ति से पूर्णतया लाभान्वित नही हो पा रही हूँ इसलिए उक्त पेडो को कटवाकर उनके स्थान पर नई किस्म के अच्छे पेड लगाना चाहती है जिसके लिए अनुमति प्रदान की जानी आवश्यक एवं प्रार्थनीय है।

यहकि मेरे उपरोक्त शपथपत्र का कुल कथन सत्य व सही है कोई तथ्य छिपाया नही गया है और ना ही झूठ बोला गया है ईश्वर सच बोलने मे मेरी मददकरे।

दिनांक- 09/10/2024

ह0 शपथकर्ता

Dipika Tyagi

तसदीक करती

09/10/24

ह0 शपथकर्ता

Dipika Tyagi

प्रमाणित

कार्यालय मुख्य उद्यान अधिकारी, हरिद्वार

186/पातन जांच/2024–25
हेतु समिति के सदस्य।

दिनांक 25/10/2024

प्रभारी, उद्यान सचल दल केन्द्र
बहादराबाद, हरिद्वार।

विषयः– श्रीमति दीपिका त्यागी पत्नी श्री सुमित कुमार त्यागी निवासी 01 निकट सोन्धी नर्सिंग होम मयूर विहार आर्य नगर ज्वालापुर, जिला हरिद्वार, के आम बाग में 25 आम वृक्षों पातन हेतु जांच आख्या के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक निम्नलिखित आवेदन पत्र मूल रूप में संलग्नको सहित प्रेषित करते हुये आपको निर्देशित किया जाता कि आप प्रश्नगत वृक्षों के पातन हेतु उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976(उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) तथा वन विधि मार्ग दर्शिका में प्रदत्त निर्देशों के आलोक में स्वंय स्थलीय निरीक्षण करते हुये निम्नलिखित बिन्दुओं पर अपनी लिखित आख्या एवं पातन हेतु अनुज्ञा देय है अथवा नही स्पष्ट करना सुनिश्चित करें।

1– प्रार्थी कृषि योग्य उस भूमि का स्वामी है जिस पर खडे वृक्षों के पातन हेतु आवेदन किया गया है।
2– प्रार्थी द्वारा संलग्न किये गये पहचान पत्र को मूल प्रति से मिलान किया जाये।
3– प्रश्नगत भूखण्ड पर खडे कुल वृक्षों की संख्या तथा पातन योग्य वृक्षों की संख्या स्पष्ट की जाये।
4– प्रश्नगत वृक्ष पातन योग्य क्यों है कारण सहित स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।
5– प्रार्थी द्वारा पूर्व में भी वृक्ष पातन किये गये है यदि हाँ तो विवरण प्रस्तुत करें।
6– पातन योग्य वृक्षों के मौके पर प्रार्थी के साथ आप अपना जियो टैग लोकेशन के साथ फोंटो संलग्न करें।
7– पातन की अनुज्ञा यदि नियमानुसार जारी की जाती हे तो पातन उपरान्त भी जियो टैग का फोंटो संलग्नक करना आवश्यक होगा।
8 –यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पातन अनुज्ञा लेने वाले की भूमि उसी के नाम की दर्ज हो।
9– आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रपत्रों की भलीभॉति जॉच कर ली जाये।
10–पातन अनुज्ञा तथा पातन उपरान्त नियमानुसार पौध रोपण की जियों टैग फोटो भी पातन के 15 दिन के अन्तर्गत प्रस्तुत करें।
11–आवेदक द्वारा जिस उद्यान से वृक्षों के पातन हेतु अनुमति मांगी जा रही है उस उद्यान का नक्शा नजरिया संलग्न करते हुये बाग में स्थित समस्त वृक्षों की संख्या प्रदर्शित कर,पातन हेतु अनुमति मांगे जाने वाले वृक्षों को चिन्हित करना आवश्यक होगा, साथ ही बाग के चारों दिशाओं में किस कृषक की भूमि है का भी अंकन किया जाय तथा निरीक्षण के समय बागस्वामी के हस्ताक्षर कराना भी आवश्यक होगा।
12–मूल आवेदन पत्र संलग्नको सहित जॉच आख्या के साथ मूल रूप में इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
13 –इस आदेश में उल्लेखित फलदार वृक्ष की संख्या से अधिक वृक्षों के पातन किये जाने पर यह स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी एवं नियम संगत वैधानिक कार्यवाही अपनाई जायेगी एवं भूमि पर किसी भी प्रकार के वाद/विवाद की स्थिति को यदि आवेदनकर्ता के द्वारा अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में नहीं लाया जाता है या जानबूझकर छिपाया जाता है तो पातन अनुज्ञा निरस्त कर दी जाएगी। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदनकर्ता की होगी।
14 – सही/सटीक निरीक्षण किये जाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संवन्धित प्रभारी की होगी। सही निरीक्षण न करने पर संवन्धित प्रभारी स्वयं उत्तरदायी होगा एवं किसी भी विपरीत परिस्थिति के उत्पन्न होने पर संबन्धित पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नः– मूल आवेदन पत्र संलग्नकों सहित

नसीम

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार
O/c

[Type text]

निजी फल वृक्षों के पातन हेतु निरीक्षण आख्या का प्रारूप

...का नाम- दीपिका त्यागी

...नाम- D/o श्री सतीश त्यागी

...पता सहित- मयूरविहार आर्यनगर, ज्वालापुर मौजा बहादराबाद - 9837100431

...के आवेदन पत्र के अनुसार बाग में कुल वृक्षों की संख्या 25

आवेदक द्वारा पातन हेतु आवेदित वृक्षों की संख्या 25

सम्बन्धित क्षेत्र के डाकघर/थाने का नाम- बहादराबाद

पातन हेतु आवेदक द्वारा नामित ठेकेदार का नाम व पता नसीम S/o अनीस, पिरान कलियर

निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम- पवन चौहान- निरीक्षक

कार्यालय का नाम व पता- उद्यान सचल दल केन्द्र - बहादराबाद

1-प्रार्थी कृषि योग्य उस भूमि का स्वामी है जिस पर खड़े वृक्षों के पातन हेतु आवेदन किया गया है। हाँ/नहीं

2-प्रार्थी द्वारा संलग्न किये गये पहचान पत्र को मूल प्रति से मिलान किया गया हाँ/नहीं

3-प्रश्नगत भूखण्ड खसरा संख्या 335/1, 335/2 में आम के 25 वृक्ष खड़े हैं तथा आवेदित 25 वृक्षों के सापेक्ष आम के 25 वृक्ष पातन योग्य पाये गये है।

4-प्रश्नगत वृक्षों के पातन किये जाने का ठोस कारण बाग स्टेमबोरर व डायबैक जैसे रोगों से ग्रसित हैं। (कई पेड़ो की जड़ो पर दीमक का भी प्रभाव है।) बाग की शाखायें व पत्ते 42-45% तक सूख चुके हैं, अतः पातन की संस्तुति की जाती है। कुछ गुम्मोसिस से पीड़ित है।

5-पातन हेतु योग्य वृक्षों की उम्र 60 वर्ष से अधिक

6-प्रार्थी द्वारा पूर्व में भी वृक्ष पातन किये गये है यदि-हॉ तो उसका पूर्ण विवरण.. नहीं X/नहीं

7-पातन योग्य वृक्षों के मौके पर प्रार्थी के साथ निरीक्षणकर्ता का जियो टैग लोकेशन के साथ फोटो सलग्न हाँ/नहीं

8-पातन की अनुज्ञा यदि नियमानुसार जारी की जाती है तो पातन उपरान्त भी जियो टैग का फोटो प्रस्तुत कर दिया जायेगा हाँ/नहीं

9-आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रपत्रो की भली भाँति जॉच कर ली गई है। हाँ/नहीं

10- उद्यान का नक्शा नजरिया संलग्न हाँ/नहीं

11- पातन योग्य वृक्षों का विवरण

	पातन हेतु संस्तुत किये गये वृक्षों का विवरण										अभ्युक्ति
क्र0सं0	प्रजाति	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7 से अधिक	कुल योग	
01	बीजू आम	—	—	—	—	4	8	10	3	25	
02										/	
योग		—	—	—	—	4	8	10	3	25	

12-निरीक्षण के समय बाग स्वामी/साक्षी का विवरण:- निरीक्षणकर्ता के

हस्ताक्षर

1-नाम- दीपिका त्यागी

2-पिता का नाम- सतीश त्यागी

3-पता- मयूर विहार, आर्य नगर

4-मो0नं0- 9837100481

हस्ताक्षर

नाम-

पदनाम- प्रभारी उ0स0द0केन्द्र बहादराबाद

कार्यालय-प्रभारी उद्यान सचल दल केन्द्र

पत्रांक 102 /पातन/ 24-25 दिनांक हरिद्वार 03-12-2024

प्रतिलिपि-मुख्य उद्यान अधिकारी महोदय की सेवा में निरीक्षण आदेश संख्या 3289 दिनांक 19/424 के क्रम में आवेदक के मूल दस्तावेज सहित निरीक्षण आख्या की मूल प्रति सलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

संलग्नः-

बाग का निरीक्षण समिति द्वारा किया गया है। अतः जॉच आख्या उपरोक्तानुसार प्रेषित।

A.H.O

M.I

ह0

नाम-

पदनाम- प्रभारी

कार्यालय की मुहर उ0स0द0केन्द्र बहादराबाद

Scanned with CamScanner

आदेश

भारतीय संविधान की धारा 299 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड सरकार की वेज्ञप्ति संख्या 765/7–127/1965 दिनांक 27.04.1983 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के साथ पठित 3–6 में (उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड सरकार के राज्यपाल के अनुसार) दिये गये अधिकारों के अनुसार अधोहस्ताक्षरी प्रतिभूति वचनबद्ध करने एवं अवमुक्त करने हेतु प्राधिकृत है।

उपरोक्त क्रम में श्रीमति दीपिका त्यागी पत्नी श्री सतीश त्यागी निवासी मयूरविहार आर्यनगर, ज्वालापुर मौजा बहादराबाद, जिला हरिद्वार ने अपने आवेदन पत्र दिनांक 09.10.2024 के द्वारा 25 आम के पातन हेतु आवेदन किया गया है, पातन हेतु आवेदित 25 वृक्षों का निरीक्षण प्रभारी उद्यान सचल दल केन्द्र, बहादराबाद से कराया गया है निरीक्षण आख्यानुसार आवेदित वृक्षों के सापेक्ष कुल 25 आम वृक्ष पातन योग्य पाये गये, सम्बन्धित बाग स्वामी, पातन के उपरान्त पुराने पेड के एवज में नये पेड लगाने हेतु रू0 250.00 प्रति वृक्ष की दर से कुल 25 वृक्ष की धनराशि रू0 6250.00 मुख्य उद्यान अधिकारी हरिद्वार के पक्ष में बन्धक कराते हुये डाकघर के बचत पत्र/बैंक सावधि जमा, मूल रूप से जमा करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त आदेश संबन्धित प्रभारी द्वारा प्राप्त संस्तुति के क्रम में जारी की जा रही है। इस आदेश में उल्लेखित फलदार वृक्ष की संख्या से अधिक वृक्षों के पातन किये जाने पर यह स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी एवं नियम संगत वैधानिक कार्यवाही अपनाई जायेगी एवं भूमि पर किसी भी प्रकार के वाद/विवाद की स्थिति को यदि आवेदनकर्ता के द्वारा अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में नहीं लाया जाता है या जानबूझकर छिपाया जाता है तो पातन अनुज्ञा निरस्त कर दी जाएगी। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदनकर्ता की होगी एवं यदि पुराने पेडों के एवज में नये पेड नहीं लगाये जाते हैं तो बचत पत्र विभाग के नाम जब्त की जायेगी।

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार।

कार्यालय मुख्य उद्यान अधिकारी हरिद्वार

पत्रांक 3662/पातन–जमानत/2024–25 दिनांक हरिद्वार 10/12/2024।

प्रतिलिपिः– 1– श्रीमति दीपिका त्यागी पत्नी श्री सतीश त्यागी निवासी मयूरविहार आर्यनगर, ज्वालापुर मौजा बहादराबाद, जिला हरिद्वार को उक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2– डाकपाल, डाकघर, बहादराबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
3– शाखा प्रवन्धक, बहादराबाद को सूचनार्थ।

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार।
9/12/24

कार्यालय – मुख्य उद्यान अधिकारी हरिद्वार।

पातन अनुज्ञा संख्या /फ0वृ0पा0/2024–25 दिनांक 16/12/2024 हरिद्वार 2024

पातन अनुज्ञा

उत्तराखण्ड शासन वन एवं पर्यावरण अनुभाग–3 के पत्र संख्या 927/X-3-12/दिनांक 03.12.2012 एवं उत्तर प्रदेश अधिनियम 45/1976 यथावृत्त की धारा–3 की उपधारा(III) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी निम्नलिखित को निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन पातन अनुज्ञा निर्गत की जाती है।

1–अधोलिखित प्रार्थी श्रीमति दीपिका त्यागी पत्नी श्री सतीश त्यागी निवासी मयूरविहार, आर्यनगर ज्वालापुर मौजा बहादराबाद, जिला हरिद्वार ने अधोहस्ताक्षरी से अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 09.10.2024 के द्वारा अपनी निजी भूमि में स्थित बाग से फल वृक्षों के पातन की अनुज्ञा मांगी गई है।

2–अधोहस्ताक्षरी ने प्रभारी उ0स0द0 केन्द्र, बहादराबाद से बाग/पातन क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण करा लिया है व स्वयं को संतुष्ट कर लिया है।

3–अधोलिखित पेड प्रार्थी की व्यक्तिगत भूमि में स्थित बाग में खडे हैं।

4–ये पेड पूर्णतः प्रतिबन्धित प्रजाति के हैं तथा हरे हैं। ये फलदार/मूल्यवान प्रकाष्ठ के हैं, जो पुराने/विभिन्न प्रकार के रोगों से रोगग्रस्त हैं जिनकी फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट आ चुकी है तथा बाग स्वामी के लिये अलाभकारी है।

5–अतः अधोलिखित प्रार्थी को इन वृक्षों के पातन की अनुज्ञा प्रभारी उ0स0द0 केन्द्र बहादराबाद हरिद्वार की संस्तुति के आधार पर एतद्द्वारा दी जाती है तथा अनुज्ञा जारी होने के दिनांक से 15 दिन की अवधि के लिये वैध होगी। एवं अनुज्ञा में उल्लेखित संख्या से अधिक पातन करने पर यह स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी एवं विधी संगत कार्यवाही अपनायी जायेगी। किसी भी प्रकार के वाद/विवाद की स्थिति को अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में नहीं लाया जाता है या जानबूझकर छिपाया जाता है तो इस स्थिति में पातन अनुज्ञा निरस्त समझी जायेगी।

6–उस भूमि का विवरण जिस पर पातन हेतु अनुज्ञा दी जानी है(खसरा खतौनी की नवीनतम सत्यापित प्रतिलिपि/शपथ–पत्र व नक्शा) जो इस कार्यालय में प्रस्तुत किये गये है का विवरण निम्न प्रकार है:–

जिला	तहसील	थाना	ग्राम	खाता/खतौनी/खसरा नम्बर
हरिद्वार	हरिद्वार	बहादराबाद	बहादराबाद	335/1 व 335/2

7– वृक्षो का खसरा नम्बरवार विवरण जिनके पातन की अनुज्ञा दी जाती है:–

बाग स्वामी का नाम व पता	खसरा संख्या	खसरे में कुल वृक्षों की संख्या तथा प्रजाति	वृक्षों का विवरण (गोलाई फिट में)								योग
			0–1	1–2	2–3	3–4	4–5	5–6	6–7	7 से ऊपर	
दीपिका त्यागी पत्नी श्री सतीश त्यागी निवासी मयूरविहार, आर्यनगर ज्वालापुर मौजा बहादराबाद, जिला हरिद्वार	335/1 व 335/2	25 आम बीजू	00 00	00 00	00 00	00 00	04 00	08 00	10 00	03 00	25 00
		योग–	00	00	00	00	04	08	10	03	25

8–प्रार्थी ने 250/प्रति पेड की दर से कुल 22 आम वृक्षो के सापेक्ष रू0 6250.00 जमानत इस उद्देश्य से अधोहस्ताक्षरी को निरूपित कर दी है कि प्रत्येक काटे गये वृक्षों के बदले दो वृक्ष सफलता पूर्वक लगायेगा। यह धनराशि रू0, 6250.00 इंडियन बैंक हरिद्वार के खाता संख्या0 7929810499 से दिनांक 10.12.2024 को जमा हो गई है। यह जमानत एक वर्ष पश्चात पौधों की सफलता का निरीक्षण करने के बाद ही वापस की जा सकती है। फल वृक्षों का निरीक्षण सम्बन्धित प्रभारी उ0स0द0 केन्द्र बहादराबाद से कराने के उपरान्त विधिवत निकासी ली जाये।

9–यदि प्रार्थी द्वारा पेड पातन उपरान्त नये वृक्षों का रोपण न करके कालोनी का निर्माण किया जाता है तो आपकी जमानत धनराशि जब्त कर दी जायेगी। एवं विधी संगत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

10–पातन अनुज्ञा में दी गयी वृक्षों की संख्या से अधिक पेड काटने पर कृषक एवं आवेदन पत्र में अनुबन्धित ठेकेदार के विरूद्ध सम्बन्धित थाने में एफ0आई0आर0 की जायेगी।

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

पत्रांक 3478 /उक्त दिनांक।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रार्थी अथवा उनके प्रतिनिधि को उनके आवेदन पत्र दिनांक 09.10.2024 के कम में इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार निर्धारित समय के अन्तर्गत पातन करना सुनिश्चित करें, निर्धारित समय के पश्चात अनुज्ञा स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

2– प्रभारी उ0स0द0 केन्द्र बहादराबाद को इस निर्देश के साथ कि चिन्हित वृक्षों के पातन के उपरान्त मौके का स्थलीय निरीक्षण कर इस बात की पुष्टि करेगें कि बाग स्वामी द्वारा मौके पर पातन हेतु चिन्हित वृक्षों से अधिक वृक्षों का पातन तो नही किया गया है तथा पातन उपरान्त जी0ई0आ0 टैग फोटो संलग्न करते हुये सम्बन्धित जॉच आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3– सम्बन्धित थानाध्यक्ष।

4– उपजिलाधिकारी हरिद्वार

5– प्रभागीय वनाधिकारी,वन प्रभाग हरिद्वार को सूचनार्थ प्रेषित।

6– वन क्षेत्राधिकारी बहादराबाद

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

Annexure - 11

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार

दूरभाष/फैक्स 01334 226271, email : dfo_hardwar@rediffmail.com

पत्रांक : 3114 /23–3, हरिद्वार दिनांक : 20/12/2024

पातन अनुज्ञा

✓श्रीमती दिपिका त्यागी पत्नी श्री मूदित त्यागी, निवासी–मयूर विहार ज्वालापुर, पो0 व थाना रानीपुर तहसील व जिला हरिद्वार के आवेदन पत्र के क्रम में उनके निजी नाप भूमि के खसरा सं0 335 में स्थित बहादराबाद जिला हरिद्वार में खड़े सेमल(हरा खड़ा) प्रजाति के 01 वृक्ष के पातन हेतु वन क्षेत्राधिकारी, हरिद्वार रेंज द्वारा अपने पत्रांक–286/23–3, दिनांक 22.11.2024 की रिपार्ट/संस्तुति पर उप प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार द्वारा संस्तुति कर प्रेषित की गई है। वन क्षेत्राधिकारी, हरिद्वार के पत्रांक 354/23–3, दिनांक 18.12.2024 से छपान रिपोर्ट मय एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0(सं0 7935439310) सहित इस कार्यालय को प्रस्तुत की गयी है। उपरोक्त संस्तुति एवं जाँच उपरान्त उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976, (उत्तराखण्ड में यथा–प्रवृत्त) की धारा–5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न विवरणानुसार वृक्षों की पातन अनुमति एतद् निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है।

क्र0सं0	वृक्ष प्रजाति	व्यास वर्ग	कुल संख्या	अभ्युक्ति
01	सेमल(हरा खड़ा)	9 से ऊपर	01	वन क्षेत्राधिकारी, हरिद्वार रेंज की जांच आख्यानुसार उक्त वृक्ष काफी पुराना होने के कारण गिरने का खतरा बना हुआ है।

1– उक्त वृक्ष पातन की अनुमति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन दी जाती है –

1. पत्र जारी होने के बाद <u>07</u> दिन तक के लिए यह पातन अनुज्ञा वैद्य होगी। भू–स्वामी द्वारा निश्चित रूप से इस अवधि में वृक्षों का पातन करना होगा। उक्त <u>07</u> दिनों के बाद वृक्ष पातन हेतु कोई अवधि विस्तार नहीं दिया जायेगा।
2. उक्त वृक्षों की पातन अनुज्ञा उत्तराखण्ड शासन वन अनुभाग–3 संख्या 115/X-3-24/05(11)/2022, दिनांक 11 मार्च 2024 द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अपना समुपयोज्य व्यास प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्गत की जा रही है।
3. पत्र जारी होने के 01 माह के अन्दर उक्त वृक्षों के पातन के पश्चात आवश्यकतानुसार उत्तराखण्ड इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज अभिवहन नियमावली–2012 के प्राविधानानुसार प्रकाश्ठ की निकासी हेतु सम्बन्धित रेंज कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
4. उक्त पेड़ों के पातन स्थलों का किसी भी समय वन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी/कर्मचारी द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा।
5. उक्त वृक्षों के पातन हेतु भू–स्वामी द्वारा अपने आवेदन पत्र में किसी भी पत्र में तथ्य का किसी भी मय असत्य पाये जाने पर पातन अनुज्ञा को निरस्त माना जायेगा।
6. उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम–1976 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा–7 के प्राविधानानुसार प्रत्येक पातित वृक्ष के सापेक्ष दुगने संख्या में पौधों का रोपण चिहित स्थलों पर भू–स्वामी द्वारा स्वयं के व्यय पर किया जायेगा। रोपित पौधों की देख–रेख सम्बन्धित भू–स्वामी द्वारा किया जायेगा। वृक्षारोपण हेतु स्थल चयन प्रजाति का चयन व रोपित पौध की जीवितता सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
7. वृक्ष के स्वामित्व को लेकर यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो विभाग इसका जिम्मेदार नहीं होगा।
8. पातन सूर्योदय के बाद व सूर्यास्त तक ही मान्य होगी।
9. यह सुनिश्चित कर लेवे कि यह पातन अनुज्ञा केवल उक्त वृक्ष के लिये ही है। इसकी आड़ में अन्य वृक्षों का पातन न हो।
10. आवेदक को वृक्षों के पातन की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ दी जाती है कि पातन उपरान्त सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी व उप प्रभागीय वनाधिकारी के निरीक्षण के पश्चात ही पातित वृक्षों की जड़ों का खुदान किया जाये।
11. **शर्तों का उल्लघंन होने पर पातन अनुज्ञा स्वतः निरस्त हो जायेगा एवं समस्त प्रकाश्ठ को अवैध मानते हुए कार्यवाही की जायेगी।**

प्रभागीय वनाधिकारी,
हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार

पत्रांक : 3114 /(1) तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. उप प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार।
2. उप जिलाधिकारी, हरिद्वार।
3. वन क्षेत्राधिकारी, हरिद्वार रेंज।
4. सम्बन्धित थाना प्रभारी।
5. श्रीमती दिपिका त्यागी पत्नी श्री मूदित त्यागी, निवासी–मयूर विहार ज्वालापुर, पो0 व थाना रानीपुर तहसील व जिला हरिद्वार।

प्रभागीय वनाधिकारी,
हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार

Annexure - 12

कार्यालय मुख्य उद्यान अधिकारी हरिद्वार।

पत्रांक 459 /विविध/2022–23/दिनॉक 27/05/2022।

सेवामें,

मुख्य कृषि अधिकारी
हरिद्वार।

विषय– सहारा इण्डिया लि0 में ग्राम बहादराबाद तहसील व जिला हरिद्वार में आम के बाग में पेड सूखाने वाली दवा/तेजाब द्वारा 50 पेडों को सूखाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक 296/मु0कृ0अ0/नमामि गंगे/2022–23/ दिनॉक 21.05.2022 के कम में अवगत कराना है कि प्रार्थी सुनील कुमार चौहान, भारत माता अभिनन्दन संगठन उत्तराखण्ड बहादराबाद के शिकायती प्रत्र पर प्रभारी उद्यान सचल दल केन्द्र बहादराबाद द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 283/निरीक्षक/दिनॉक 28.03.2022 को अद्योहस्ताक्षरी द्वारा दिये गये मौखिक निर्देशों के कम में बहादराबाद बाइपास हाइवे पर सहारा ग्रुप के आम बागो का स्थलीय निरीक्षण किया गया जिसमें बाग मालिको द्वारा बाग पर जहरीली रसायन स्प्रे किया गया की सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की गई तदपश्चात बाग मालिक ए0एस0 बिष्ट निवासी एफ–102 लक्ष्मीपार्क नागलोई दिल्ली द्वारा अपने बाग में ठेकेदार द्वारा मेरी अनुपस्थिति में आम के वृक्षों का पातन कर देनी की सूचना इस कार्यालय को दिनॉक 06.05.2022 को दे दी गई जिस पर प्रभारी बहादराबाद द्वार रू0 5000.00 प्रति वृक्ष की दर से 83 वृक्ष का अर्थदण्ड जमा कराने की संस्तुति की गई के कम में इस कार्यालय के पत्रांक 267/अवैध पातन/दिनॉक 06.05.2022 को बाग मालिक श्री ए0एस0 बिष्ट निवासी एफ–102 लक्ष्मीपार्क नागलोई दिल्ली को अर्थ दण्ड (रू0 415000.00)जमा करने का आदेश निर्गत किया गया तथा अर्थदण्ड भी विभागीय लेखाशीर्षक में जमा करा दिया गया।

अतः उक्त प्रकरण में कि गयी कार्यावाही की सूचना प्रेषित की जा रही है।

संलग्न–उपरोक्त पत्रांक की छाया प्रति–3

भवदीय

27/05/2022

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार।

पत्रांक 459 /तद्दिनॉकित।

प्रतिलिपि– श्री सुनील कुमार चौहान, भारत माता अभिनन्दन संगठन उत्तराखण्ड बहादराबाद–249402 को सूचनार्थ प्रेषित।

27/05/2022

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार।

प्रेषक,

मुख्य कृषि अधिकारी,
हरिद्वार।

सेवा में,

मुख्य उद्यान अधिकारी,
हरिद्वार।

पत्रांक :–296 /मु0कृ0अ0/नमामि गंगे/2022–23/दिनांक– 21-5-2022

विषय :– **सहारा इण्डिया लि0 में ग्राम बहादराबाद तहसील व जिला हरिद्वार में आम के बाग में पेड़ सूखाने वाली दवा/तेजाब द्वारा 50 पेड़ों को सूखाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि प्रार्थी सुनील कुमार चौहान, भारत माता अभिनन्दन संगठन, उत्तराखण्ड बहादराबाद द्वारा उक्त के सम्बन्ध में जो शिकायत प्रार्थी द्वारा की गई है। प्रार्थी का शिकायती पत्र मूलरूप में आपको इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(विजय देवराड़ी)
मुख्य कृषि अधिकारी,
हरिद्वार।

पत्रांक–............/उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि:–श्री सुनील कुमार चौहान, भारत माता अभिनन्दन संगठन, उत्तराखण्ड बहादराबाद–249402 को उनके शिकायती पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य कृषि अधिकारी,
हरिद्वार।

(2105) मुख्य कृषि अधिकारी
हरिद्वार

सेवा में,

दिनांक : 20.4.22

श्रीमान मुख्य सचिव,

उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून।

(देवेन्द्र सिंह चौहान)
अनु सचिव, मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग–2
संख्या–GE/(C) 3993/XXV-2/2022( )
दिनांक 04/05/2022

विषय : सहारा इण्डिया लि0 ने ग्राम बहादराबाद तहसील व जिला हरिद्वार में आम के बाग में पेड़ सुखाने वाली दवा/तेजाब द्वारा 50 पेड़ों को सुखाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन है कि सहारा इण्डिया लि0 ने ग्राम बहादाबाद, तहसील व जिला हरिद्वार के लगभग 500 बीघे जमीन वर्ष 2005 में खरीद ली गई जिसमें अधिकांश में बाग, आम के पेड खेड़े है। सहारा इण्डिया लि0 कम्पनी ने बाग आम को समाप्त करने तथा वहां पर रेजीडेन्शल कालोनी के लिए बाग आम के 50 पेड़ों को जो खसरा नं0 316, 317, 318, 319 व 320 में दर्ज हैं को दवाई डालकर सुखा दिया है जिस पर ब्लाक बहादराबाद के उद्यान प्रभारी मासूम अली ने घूस लेकर मामले को रफा–दफा कर दिया है। इसी प्रकार वन विभाग बहादराबाद हरिद्वार ने इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की है।

अत: निवेदन है कि उक्त खसरा नम्बरों को अवलोकन कर सहारा इण्डिया लि0, उद्यान विभाग, वन विभाग पर उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

धन्यवाद!

प्रतिलिपि :

1. माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, हरिद्वार
3. सचिव (वन) देहरादून।
4. मुख्य वन संरक्षक, देहरादून।
5. वन अधिकारी हरिद्वार
6. मुख्य उद्यान अधिकारी, रोशनाबाद, हरिद्वार

प्रार्थी

सुनील

(सुनील कुमार चौहान)

भारत माता अभिनन्दन संगठन

उत्तराखण्ड, बहादराबाद – 249402

298
17/05/22

श्री संजय कुमार वर्मा

Kindly forward to CHO - Haridwar for n/a.
CAO

CAO
11/5

कार्यालय : प्रभारी उद्यान सचल दल केन्द्र बहादराबाद
पत्रांक 283 / बाग निरीक्षण / 2021-22 / दिनांक 28-3-2022
सेवा मे

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

विषय :- सहारा ग्रुप के आम बाग का निरीक्षण उपरान्त आख्या का प्रेषण विषयक ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा दिये गये मौखिक निर्देशों के क्रम मे मेरे द्वारा बहादराबाद बाइपास हाइवे पर सहारा ग्रुप के आम बागो का स्थलीय निरीक्षण किया गया जिसमे बाग मालिको द्वारा अपने आम बाग पर जहरीली रसायन का स्प्रे किये जाने की सूचना प्राप्त हुई थी।

उक्त बगीचे मे निरीक्षण के दौरान पाया गया है कि आम के करीब 100 वृक्षो पर किसी रसायन (अज्ञात) का स्प्रे किया गया है जिस कारण पौधों की पत्तीयाँ पीली पड़कर मुड़ने लगी है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा मौके पर उपस्थित एक व्यक्ति से वार्ता की गयी जिसने अपना नाम श्री प्रेमसिंह निवासी - कोटद्वार बताया गया है।

श्री प्रेम सिंह से वार्ता करने पर उनके द्वारा बताया गया है कि उक्त आम वृक्षो पर लगभग 3 दिन पूर्व मे स्प्रे किया गया है। छिड़काव किये गये रसायन की जानकारी उनके द्वारा नही दि गयी है। इनके द्वारा बताया गया है बाग मालिकों द्वारा उनको बाग की देख रेख के लिए छोड़ा गया है। उक्त व्यक्ति द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि उक्त सहारा ग्रुप प्राइम सिटी लि० भूमि के मालिक 5 या 6 व्यक्ति है जो कहीं बाहर रहते है।

अतः महोदय को अवगत कराना है कि छिड़काव किये गये रसायन की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नही हो पाई है। उक्त सूचना महोदय कि सेवा मे सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित !

भवदीय
प्रभारी
उ0स0द0के0
बहादराबाद

प्रतिलिपि :- थाना प्रभारी थाना - बहादराबाद, हरिद्वार की सेवा मे सादर सूचनार्थ प्रेषित !

प्रभारी
उ0स0द0के0
बहादराबाद

अर्थ दण्ड आदेश

श्री ए0 एस0 बिष्ट निवासी एफ–102 लक्ष्मीपार्क नागलोई दिल्ली मौजा स्थित बहादरावाद जिला हरिद्वार द्वारा बिना विभाग की अनुमति के अपने बाग से 83 जीवित आम वृक्षों का पातन किये जाने पर की गई विभागीय कार्यवाही में दोषी पाये गये, उक्त जीवित वृक्षों को सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा के अभाव में पातन किया गया है, जो कि भारतीय वन (उत्तरांचल संशोधन) संरक्षण अधिनियम की धारा 42 की उपधार (1) का स्पष्ठ उल्लंघन है।

अतः अधिनियम के उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर मै मुख्य उद्यान अधिकारी,हरिद्वार शासनादेश संख्या 927/IX-3-2012 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री श्री ए0 एस0 बिष्ट निवासी एफ–102 लक्ष्मीपार्क नागलोई दिल्ली मौजा स्थित बहादरावाद के विरूद्ध 83 जीवित वृक्षों के पातन पर रू0, 5000.00 प्रति वृक्ष की दर से कुल धनराशि रू0, 415000.00 (चार लाख पन्द्रह हजार) का अर्थ दण्ड निर्धारित करते हुये उन्हे निर्देशित करता हूँ कि वे तत्काल रू0 415000.00 (चार लाख पन्द्रह हजार) मात्र रोकडिया कार्यालय मुख्य उद्यान अधिकारी कमरा न0–78 विकास भवन, रोशनाबाद में जमा करना सुनिश्चित करें।

(नरेन्द्र कुमार यादव)
मुख्य उद्यान अधिकारी,
हरिद्वार

कार्यालय मुख्य उद्यान अधिकारी हरिद्वार

पत्रांक 267 /अवैध पातन/2022–23 दिनांक हरिद्वार 06-05- 2022

प्रतिलिपिः–1– श्री ए0 एस0 बिष्ट निवासी एफ–102 लक्ष्मीपार्क नागलोई दिल्ली मौजा स्थित बहादरावाद जिला हरिद्वार को उपरोक्तानुसार अनुपलनार्थ।

2– रोकडिया मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि रू0 415000.00(चार लाख पन्द्रह हजार) मात्र श्री ए0 एस0 बिष्ट निवासी एफ–102 लक्ष्मीपार्क नागलोई दिल्ली मौजा स्थित बहादरावाद जिला हरिद्वार से प्राप्त कर विभागीय 'कैश रसीद उपलब्ध कराते हुये धनराशि विभागीय लेखाशीर्षक में जमा करना सुनिश्चित करें

3– प्रभारी उद्यान सचल दल केन्द्र बहादरावाद

4– थाना प्रभारी बहादराबाद हरिद्वार

मुख्य उद्यान अधिकारी,
हरिद्वार

सेवा में,

प्रभारी उद्यान सचल दल

केन्द्र बहादराबाद

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि **चिरायुइस्टेट एण्ड डेवलेपमेंट प्रा0लि0/सायरस इस्टेट एण्ड रीयलिटी प्रा0लि0/दीपिशा रीयलिटी एण्ड लीजिंग प्रा0लि0/धनन्जय इस्टेट एण्ड रीयलिटी प्रा0लि0/देवदत्त इस्टेट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्रा0लि0/ धर्मवीर डेवलपमेन्ट एण्ड रीयलिटी प्रा0लि0/ दत्तात्रेया इस्टेट एण्ड रीयलिटी प्रा0लि0/सहारा इण्डिया/ए0एस0** बिष्ट जमीन पर आम बाग स्थित बहादराबाद से ठेकेदार को रोग ग्रस्त एवं सूखे दो से तीन पेड़ो को हटाने के लिए कहा गया था परन्तु ठेकेदार के द्वारा मेरी अनुपस्थिति में आम के वृक्षों का भी पातन कर दिया गया है जिसकी हमें जानकारी नही थी। अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त पातान किये गये पेड़ो का अर्थदण्ड/जुर्माना जमा करा कर उक्त प्रकरण यहीं समाप्त करने की कृपा करें तथा भविष्य में इस प्रकार की पुर्नवृत्ती नही की जाएगी।

पत्रांक 42 ल
dt
26/05/2022.

उक्त प्रकरण के सापेक्ष अवैध आम वृक्ष पातन का प्रति वृक्ष अर्थदण्ड रु.-5000=00 की दर से कुल 83 आम वृक्षो का कुल अर्थदण्ड रु 83×5000=415000=00 (चार लाख पन्द्रह हजार रुपये मात्र) जमा कराने की संस्तुति की जाती है।

[signature]
प्रभारी
उ0स0द0केन्द्र
बहादराबाद

निवेदक

M/s Cyrus Estate & Reality Pvt. Ltd.

A.S. Bisht

ए0एस0 बिष्ट

निवासी–एफ.102
लक्ष्मीपार्क नांगलोई
दिल्ली–110041

Mob no.- 9837100431
9412998687

सेवा में,

श्री एस.एस.सन्धू जी
मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड सरकार देहरादून।

कं०स० (पातन)
मु० उ० अ०
26/4/22

सन्दर्भ :– पत्रांक / दिनांक 21.04.2022 का अवलोकन करें।

विषय :– सहारा इण्डिया लि० मुम्बई के ग्राम बहादराबाद हरिद्वार में फलदार आम के 30 पेड़ काटने विषयक

महोदय,

निवेदन है कि सहारा इण्डिया लि. मुम्बई की ग्राम व मौजा बहादराबाद, तहसील व जिला हरिद्वार में लगभग 500 बीघे के जमीन निकट रघुनाथ मॉल एन.एच. 58 (334) बाईपास से लगी हुई है जो खसरा नं0 316, 317, 318 मौजा बहादराबाद में स्थित है, दिनांक 05.04.2022 को उक्त कम्पनी ने 50 पेड़ पर दवाई डालकर हरे भरे आम के पेड़ों को सुखा दिया तथा उनमें से 30 पेड़ आम के दिनांक 22.04.2022 व 23.04.2022 को रात में काट दिये ताि जे.बी.सी. से जड़ उखाड कर उस स्थान पर जुताई कर दी ताकि निशानदेही मिट जाये, यह स्थान बहादराबाद थाने से 150 मीटर की दूरी पर स्थित है, हरे फलदार आम को काटने में थाना बहादराबाद, वनाधिकारी हरिद्वारब, उद्यान अधिकारी की सांठ–गांठ से पेड़ काटे जा रहे हैं तथा हरे आम के पेड़ों की लकड़िया कलियर शरीफ चिरान मशीन में बेचा जा रहा है।

अतः निवेदन है कि मौके पर जाकर इसकी जांच एस.आई.टी उत्तराखण्ड सतर्कता विभाग/ सी.बी.आई से कराकर थाना बहादराबाद उद्यान विभाग व वन विभाग हरिद्वार के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने की कृपा करें।

सादर धन्यवाद।

दिनांक 25.4.22

निवेदक
NK
नरेश कुमार
सह सचिव
भारतमाता अभिनन्दन संगठन, उत्तराखण्ड
बहादराबाद हरिद्वार

प्रतिलिपि :–

1. श्री पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, हॉफ वन अनुभाग–3 देहरादून।
3. पुलिस महानिदेशक, देहरादून।
4. पी.एम.ओ. नई दिल्ली
5. वन एवं पर्यावरण मन्त्रालय नई दिल्ली
6. पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड सतर्कता विभाग, देहरादून।
7. पुलिस अधिकारी, सी.बी.आई, देहरादून।
8. दैनिक अमर उजाला, देहरादून।
9. दैनिक नवभारत टाईम्स, देहरादून।
10. डॉ नरेन्द्र यादव, मुख्य उद्यान अधिकारी रोशनाबाद रोड़ा

सेवा में,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　दिनांक : 21.4.22

श्रीमान मुख्य सचिव,

उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून।

विषय : **सहारा इण्डिया लि0 ने ग्राम-बहादराबाद तहसील व जिला हरिद्वार में आम के बाग में पेड़ सुखाने वाली दवा/तेजाब द्वारा 50 पेड़ों को सुखाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

निवेदन है कि सहारा इण्डिया लि0 ने ग्राम बहादाबाद, तहसील व जिला हरिद्वार के लगभग 500 बीघे जमीन वर्ष 2005 में खरीद ली गई जिसमें अधिकांश में बाग, आम के पेड खेड़े है। सहारा इण्डिया लि0 कम्पनी ने बाग आम को समाप्त करने तथा वहां पर रेजीडेन्शल कालोनी के लिए बाग आम के 50 पेड़ों को जो खसरा नं0 316, 317, 318, 319 व 320 में दर्ज हैं को दवाई डालकर सुखा दिया है जिस पर ब्लाक बहादराबाद के उद्यान प्रभारी मासूम अली ने घूस लेकर मामले को रफा-दफा कर दिया है। इसी प्रकार वन विभाग बहादराबाद हरिद्वार ने इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की है।

अतः निवेदन है कि उक्त खसरा नम्बरों को अवलोकन कर सहारा इण्डिया लि0, उद्यान विभाग, वन विभाग पर उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

धन्यवाद !

प्रार्थी

सुनील चौहान

(सुनील कुमार चौहान)

भारत माता अभिनन्दन संगठन

उत्तराखण्ड, बहादराबाद

प्रतिलिपि :

1. माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, हरिद्वार
3. सचिव, वन देहरादून।
4. मुख्य वन संरक्षक, देहरादून।
5. वन अधिकारी हरिद्वार
6. मुख्य उद्यान अधिकारी, रोशनाबाद, हरिद्वार

विद्युत/अभि० ·C

कार्यालय मुख्य उद्यान अधिकारी, हरिद्वार

680 /शिकायत/2022–23/, दिनॉक हरिद्वार, 03/07/2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
जनपद हरिद्वार।

विषयः– शिकायती पत्र विषयक।

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक–शि0प्र0/एस0एस0पी0/ ओ0बी0न0–18/22/दिनॉक 12–4–2023 के कम में आवेदक श्री नरेश कुमार सह सचिव भारतमाता अभिनन्दन संगठन उत्तराखण्ड बहादराबाद हरिद्वार दिनॉक 25–05–2022 द्वारा प्रेषित शिकायती पत्र की जॉच इस अधिष्ठान के अधीनष्त ज्ये0उ0 निरी0 रूडकी व उ0निरी0 बहादराबाद द्वारा करायी गयी (संलग्न छाया प्रति) जिसमें उद्यान अधिकारी द्वारा 5000.00प्रति पेड की दर से 83X5000=415000.00 का जुर्माना जमा कराया गया। (छाया प्रति संलग्न) कम्पनी द्वारा उपलब्ध नक्शा छाया प्रति संलग्न है

अतः उपरोक्त पत्र पर की गयी कार्यावाही आपकी सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नः– यथोक्त।

भवदीय

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

पत्रांक 680 /तद्‌दिनॉकित।

प्रतिलिपि– श्री नरेश कुमार,सह सचिव,भारतमाता अभिनन्दन संगठन, उत्तराखण्ड,बहादराबाद हरिद्वार को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

प्रभारी उद्यान सचल दल केन्द्र - बहादराबाद
कार्यालय पत्रांक 32 / पातन जाँच / 2023-24 दिनांक 22-6-2023

सेवा में

मुख्य उद्यान अधिकारी - हरिद्वार

विषय: शिकायती प्रार्थनापत्र के परिपेक्ष जाँच रिपोर्ट प्रेषण बावत

महोदय,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार पत्रांक शी०प्र०/एस.एसपी. ओ०सी० नं०- 18/22 (HC/CM) दिनांक 12.4.2023 के परिपेक्ष्य एवं आपके कार्यालय पत्रांक 361 / पातन जाँच दिनांक 27-5-2023 के परिपालन में श्री आर०पी० जसोला ज्येष्ठ निरीक्षक उद्यान एवं पवन चौहान उद्यान निरीक्षक स्वंम ने दिनांक 16/6/23 को शिकायती स्थल सहारा इंडिया लि० खसरा सं० 316, 317, 318 का मौके पर जाकर स्थलीय निरीक्षण किया जिसमें जाँच द्वारा निम्न सूचनाएँ प्राप्त हुई:-

(i) उपरोक्त अंकित खसरा संख्या में जो वृक्ष काटे गये थे उनके परिपेक्ष में उद्यान अधिकारी हरिद्वार द्वारा प्रति आम वृक्ष अधिकतम जुर्माना 5000/- प्रति वृक्ष आदेशित कर धनराशी राजस्व के रूप में कम्पनी द्वारा जमा करायी गयी थी जिसकी रसीद संलग्न है (83 वृक्ष x 5000 = 415000-रु)

(ii) वर्तमान में खसरे का कुछ भूभाग खाली है, बाकी में प्लाटिंग (Plotting) की जा रही है जिसके परिपेक्ष मे कम्पनी द्वारा अधिकृत दस्तावेज लैंड उपलब्ध कराया गया है जो इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

(आर० पी० जसोला)
ज्येष्ठ निरीक्षक उद्यान

उद्यान पातन
30/06/2023

प्रभारी
उ०स०द०केन्द्र
बहादराबाद

ओ0ए0बी0–2

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड

कैश रसीद बुक

पुस्तक संख्या .... रसीद संख्या 074718 दिनांक 06/05/2022

श्री/मै0 ए०एस० बिष्ट निवासी F-102, लक्ष्मीपार्क, नागलोई दिल्ली से रु0 415000-00

(शब्दों में) मौजा रसीद बहादराबाद हरिद्वार से प्राप्त हुई।

क्र0 सं0	बेची गयी वस्तुओं / किये गये काम का वर्णन	परिमाण	मूल्य दर	धनराशि रु0	धनराशि पै0	प्रपत्री (Ledger) पृष्ठ
01	श्री ए.एस.बिष्ट द्वारा फलदार पेड़ों के अवैध पातन के कारण लगाये गये अर्थदण्ड की धनराशि जमा (CHO के आदेश सं0 267 दिनांक 06.05.2022 के क्रम में)		₹	415000	00	
	योग रु0 (चार लाख पन्द्रह हजार मात्र)		₹	415000	00	

प्रतिहस्ताक्षरित 06/05/2022

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार
प्रभारी/कार्यालयाध्यक्ष

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
मुहर सहित।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 1 उद्यान / 104–5–7–2011–5,000 बुक्स (कम्प्यूटर / ऑफसेट)।

कार्यालय मुख्य उद्यान अधिकारी हरिद्वार।

पत्रांक 361 /पातन जांच/2023–24/ दिनांक 27 मई,2023

1– श्री आर0पी0जसोला,
ज्ये0उ0निरी0,उ0स0द0केन्द्र, रूडकी।
2– श्री पवन चौहान,
उ0निरी0,उ0स0द0केन्द्र, बहादराबाद।

विषयः– **शिकायती प्रार्थनापत्र की जांच के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद हरिद्वार के पत्रांक शि0प्र0/एस0एस0पी0/ओ0बी0नं0– 18/22(HC/CM) दिनांक 12.04.2023 शिकायतकर्ता श्री नरेश कुमार, सहसचिव भारतमाता अभिनन्दन संगठन, उत्तराखण्ड बहादराबाद, हरिद्वार द्वारा प्रेषित शिकायती प्रार्थनापत्र दिनांक 25.05.202 से सम्बन्धित है। जो कि जिलाधिकारी हरिद्वार के पत्रांक 274/CC दिनांक 24.05.2023 के माध्यम से इस कार्यालय को दिनांक 25.05.2023 को प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि सहारा इण्डिया लि0 मुम्बई की ग्राम व मौजा बहादराबाद तहसील व जिला हरिद्वार में लगभग 500 बीघा जमीन निकट रघुनाथ मॉल एन0एच0 58(334) बाईपास से लगी हुई है जो खसरा नं0 316,317,318 मौजा बहादराबाद में स्थित है, दिनांक 05.04.2022 को उक्त कंपनी ने 50 पेड पर दवाई डालकर हरे भरे आम के पेडों को सुखा दिया तथा उनमें से 30 पेड आम के दिनांक 22.04.22 व 23.04.22 को रात में काट दिये तथा जे0सी0बी0 से जड उखाड कर उस स्थान पर जुताई कर दी ताकि निशानदेही मिट जाये, यह स्थान बहादराबाद थाने से 150मीटर की दूरी पर स्थित है। हरे फलदार आम के पेडों को काटने में थाना बहादराबाद, वनाधिकारी हरिद्वार, उद्यान अधिकारी की सांठ गांठ से पेड काटे जा रहे हैं तथा हरे पेडों की लकडियां कलियर शरीफ चिरान मशीन में बेचा जा रहा है।

अतः उक्त शिकायत के क्रम आपको निर्देशित किया जाता है कि आप स्थलीय निरीक्षण /जांच कर आख्या इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न– शिकायती प्रार्थनापत्र मूल में।

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

पत्रांक 361 /दिनांकित

प्रतिलिपिः– 1– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार की सेवा में उनके उक्त पत्र के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2– जिलाधिकारी, हरिद्वार की सेवा में उक्तानुसार सादर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

क० प्र० (पातन)
कृ०अ० करें
25/5/23

जॉच हेतु

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद हरिद्वार।

पत्रांक–शि०प्र० / एस०एस०पी० / ओ०बी०नं०-- 18/22 (HC/CM) / दिनॉक- 12/4/23

सेवा में,
जिलाधिकारी
जनपद- हरिद्वार

अवगत कराना है कि आवेदक– नरेश कुमार सह सचिव भारत माता अभिनन्दन संगठन, उत्तराखण्ड बहादराबाद हरिद्वार दिनॉक–25/5/22 द्वारा प्रेषित शिकायती प्रार्थना–पत्र जॉच कराये जाने विषयक प्राप्त हुआ है। उक्त शिकायती प्रार्थना–पत्र की जॉच क्षेत्राधिकारी / को० / थाना बहादराबाद जनपद हरिद्वार, ने अपनी जॉच आख्या के माध्यम से अवगत कराया है कि उक्त शिकायती प्रार्थना–पत्र का सम्बन्ध राजस्व विभाग से है।

अतः उक्त शिकायती प्रार्थना–पत्र इस आशय से आपको प्रेषित किया जा रहा है कि आप सम्बन्धित प्रकरण में अपने स्तर से जॉच / आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित कर बाद जॉच कृत कार्यवाही, से आवेदक को व इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

संलग्नकः मूल प्रार्थना–पत्र यथोपरि।
कुल–05 वर्क

कृते वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
जनपद हरिद्वार

संख्या 274/CC दिनांक 24-5-23
सेवा में,
DFO, जिला उद्यान अधिकारी (H)
(H)
कृ० आ० का० करें। कृत कार्यवाही से प्रार्थी एवं कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

प्रभारी अधिकारी (शिकायत)
कृते जिलाधिकारी हरिद्वार

कार्यालय क्षेत्राधिकारी ज्वालापुर, जनपद हरिद्वार।

पत्रांकः– सीओजे–जांच–शि0प्र0–29/2022
दिनांकः अक्टूबर, 08, 2022।

सेवा में,

पुलिस उपमहानिरीक्षक/
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
जनपद हरिद्वार।

महोदय,

कृपया अपने पत्रांकः शि0प्र0/एसएसपी/जांच/एचसी/सीएम–ओ0बी0नं0–18/2022 दिनांक 25.05.2022 का संन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो आवेदक श्री नरेश कुमार, सह सचिव, भारतमाता अभिन्नदन संगठन, उत्तराखण्ड, बहादराबाद, जनपद हरिद्वार द्वारा प्रेषित शिकायती प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में जांच कर आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

<u>सन्दर्भ</u>– पत्रांकः शि0प्र0/एसएसपी/एचसी–सीएम–ओबीन–18/2022 दिनांक 25.05.2022।

<u>प्रार्थना पत्र प्राप्ति का दिनांक</u>– 25.05.2022।

<u>प्रार्थना पत्र में निस्तारण हेतु पृष्ठांकित समयावधि</u>– 07 दिवस।

<u>आवेदक का नाम व पता</u>:– श्री नरेश कुमार, सह सचिव, भारतमाता अभिन्नदन संगठन, उत्तराखण्ड, बहादराबाद, जनपद हरिद्वार।

<u>विपक्षी का नाम व पता</u>– उद्यान एवं वन विभाग जनपद हरिद्वार।

<u>आरोप का सक्षिप्त विवरण</u>– विपक्षी विभाग की सांठ–गांठ में पेड़ों का काटा जाना।

<u>जांच अधिकारी का नाम व पद</u>–सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी ज्वालापुर जनपद हरिद्वार।

<u>दस्तावेजी/अभिलेखीय साक्ष्य अथवा अन्य साक्ष्य यदि कोई हो</u>– थानाध्यक्ष बहादराबाद, जनपद हरिद्वार से प्राप्त आख्या की छायाप्रति।

<u>जांच का विवरण/निष्कर्ष</u>:–

जांच/जानकारी एवं थानाध्यक्ष बहादराबाद, जनपद हरिद्वार के माध्यम से प्राप्त आख्या का अवलोकन करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये हैं कि थाना बहादराबाद क्षेत्रांतर्गत सहारा इण्डिया लि0 की भूमि पर लगे 50 फलदार पेड़ों को दवाई डालकर सुखाकर काटने के सम्बन्ध में आवेदक श्री नरेश कुमार, सह सचिव, भारतमाता अभिन्नदन संगठन, उत्तराखण्ड, बहादराबाद, जनपद हरिद्वार व संलग्न प्रार्थना पत्र में अंकित आवेदक श्री सुनील कुमार चौहान, भारतमाता अभिनन्दन संगठन, उत्तराखण्ड, बहादराबाद, जनपद हरिद्वार द्वारा उद्यान विभाग के ए0डी0ओ0 श्री मासूम अली एवं वन विभाग के विरूद्ध अरोप अंकित किये गये है। प्रकरण अन्य विभाग से सम्बन्धित है, जिसमें सम्बन्धित विभाग से जांच कराया जाना समीचीन प्रतीत होता है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र में वर्तमान समय में अन्य किसी पुलिस कार्रवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं।

अतः आख्या मय मूल संलग्नकों के अवलोकनार्थ हेतु सेवा में सादर प्रेषित है।

<u>संलग्नकः यथोपरि।</u>

(रेखा यादव)
सहायक पुलिस अधीक्षक/
क्षेत्राधिकारी ज्वालापुर,
जनपद हरिद्वार।

रिपोर्ट थाना बहादराबाद हरिद्वार

सेवा में,

श्रीमान डी.आई.जी./एस.एस.पी. महोदय,

जनपद- हरिदवार उतराखंड।

विषय- शिकायती प्रार्थना-पत्र शि.प्र./ए.एस. पी./ पी.एच. क्यू./OBN/684/22 दिनाकं 16/05/2022 के सन्दर्भ में रिपोर्ट/ जाँच आख्या।

आवेदक- सुनिल कुमार चौहान निवासी- भारत माता अभिनन्दन संगठन बहादराबाद हरिदवार उतराखँड।

प्रतिवादि- उघान प्रभारी श्री मासूम अली बहादराबाद।

शिकायत- उधान विभाग के अधिकारी दवारा रिश्वत ले कर पैडो को कटाना आदि।

जाँच आख्या/ रिपोर्ट- महोदय, उक्त प्रार्थना-पत्र कि जाँच मुझ उ.नि. दवारा कि गयी है। आवेदक दवारा उघान विभाग के A.D.O. श्री मासूम अली पर गम्भीर आरोप लगाये गये है। महोदय उक्त मामला उघान विभाग से सम्वन्धीत है। जिसकी जाँच सम्वन्धीत विभाग से करायी जानी न्यायहीत में सही होगा। अतः उक्त प्रार्थना-पत्र कि जाँच सम्भन्धीत विभाग से करायी जाय। अन्य कोई पुलिस कार्यवाही अपेछित नही है।

रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।

15/9/22

उ.नि./ चौकी प्रभारी

आनन्द मेहरा

चौकी- बाजार

थाना- बहादराबाद।

श्रीमान जी

अग्रसारित है।

थानाध्यक्ष

बहादराबाद

जनपद-हरिद्वार

15/9/22

मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग-2 4150 दिनांक 25.4.22

श्री एस.एस.सन्धू जी

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड सरकार देहरादून।

सन्दर्भ :– पत्रांक / दिनांक 21.04.2022 का अवलोकन करें।

विषय :– सहारा इण्डिया लि0 मुम्बई के ग्राम बहादराबाद हरिद्वार में फलदार आम के 30 पेड़ काटने विषयक

महोदय,

निवेदन है कि सहारा इण्डिया लि. मुम्बई की ग्राम व मौजा बहादराबाद, तहसील व जिला हरिद्वार में लगभग 500 बीघे के जमीन निकट रघुनाथ मॉल एन.एच. 58 (334) बाईपास से लगी हुई है जो खसरा नं0 316, 317, 318 मौजा बहादराबाद में स्थित है, दिनांक 05.04.2022 को उक्त कम्पनी ने 50 पेड़ पर दवाई डालकर हरे भरे आम के पेड़ों को सुखा दिया तथा उनमें से 30 पेड़ आम के दिनांक 22 04.2022 व 23.04.2022 को रात में काट दिये तथा जे.बी.सी. से जड़ उखाड कर उस स्थान पर जुताई कर दी ताकि निशानदेही मिट जाये, यह स्थान बहादराबाद थाने से 150 मीटर की दूरी पर स्थित है, हरे फलदार आम को काटने में थाना बहादराबाद, वनाधिकारी हरिद्वारन, उद्यान अधिकारी की सांठ–गांठ से पेड़ काटे जा रहे हैं तथा हरे आम के पेड़ों की लकड़िया कलियर शरीफ चिरान मशीन में बेचा जा रहा है।

अतः निवेदन है कि मौके पर जाकर इसकी जांच एस.आई.टी उत्तराखण्ड सतर्कता विभाग / सी.बी.आई से कराकर थाना बहादराबाद, उद्यान विभाग व वन विभाग हरिद्वार के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने की कृपा करें।

सादर धन्यवाद।

पत्रांक ......SSP/जाँच OB ...18 दिनांक 25/5/22
कृ0 जाँच कर कार्यवाही की आख्या दिवस में उपलब्ध कराये।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
कार्य0 व0पु0अधी0हरिद्वार

निवेदक

नरेश कुमार

सह सचिव

भारतमाता अभिनन्दन संगठन, उत्तराखण्ड

बहादराबाद हरिद्वार

प्रतिलिपि :–

1. श्री पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, हॉफ वन अनुभाग–3 देहरादून।
3. पुलिस महानिदेशक, देहरादून।
4. पी.एम.ओ. नई दिल्ली
5. वन एवं पर्यावरण मन्त्रालय नई दिल्ली
6. पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड सतर्कता विभाग, देहरादून।
7. पुलिस अधिकारी, सी.बी.आई, देहरादून।
8. दैनिक अमर उजाला, देहरादून।
9. दैनिक नवभारत टाईम्स, देहरादून।

सं. दिनांक : 21·4·22

श्रीमान मुख्य सचिव,

उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून।

विषय : **सहारा इण्डिया लि0 ने ग्राम-बहादराबाद तहसील व जिला हरिद्वार में आम के बाग में पेड़ सुखाने वाली दवा/तेजाब द्वारा 50 पेड़ों को सुखाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

निवेदन है कि सहारा इण्डिया लि0 ने ग्राम बहादाबाद, तहसील व जिला हरिद्वार के लगभग 500 बीघे जमीन वर्ष 2005 में खरीद ली गई जिसमें अधिकांश में बाग, आम के पेड खेड़े है। सहारा इण्डिया लि0 कम्पनी ने बाग आम को समाप्त करने तथा वहां पर रेजीडेन्शल कालोनी के लिए बाग आम के 50 पेड़ों को जो खसरा नं0 316, 317, 318, 319 व 320 में दर्ज हैं को दवाई डालकर सुखा दिया है जिस पर ब्लाक बहादराबाद के उद्यान प्रभारी मासूम अली ने घूस लेकर मामले को रफा-दफा कर दिया है। इसी प्रकार वन विभाग बहादराबाद हरिद्वार ने इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की है।

अत: निवेदन है कि उक्त खसरा नम्बैरों को अवलोकन कर सहारा इण्डिया लि0, उद्यान विभाग, वन विभाग पर उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

धन्यवाद !

प्रार्थी

(सुनील कुमार चौहान)
भारत माता अभिनन्दन संगठन
उत्तराखण्ड, बहादराबाद

प्रतिलिपि :

1. माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, हरिद्वार
3. सचिव, वन देहरादून।
4. मुख्य वन संरक्षक, देहरादून।
5. वन अधिकारी हरिद्वार
6. उद्यान अधिकारी, रोशनाबाद, हरिद्वार

कार्यालय उप वन संरक्षक, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार।

दूरभाष / फैक्स 01334 226271, email : dfo_hardwar@rediffmail.com

पत्र संख्याः– 4742 / 21-5 हरिद्वार दिनांक : 29/05/ 2023

सेवा में,

जिला उधान अधिकारी
हरिद्वार।

विषय :– **सहारा इण्डिया लि0 मुम्बई के ग्राम बहादराबाद हरिद्वार में आम के 30 वृक्ष काटने के सम्बन्ध में।**

संदर्भः **प्रभारी अधिकारी, (शिकायत)/ कृते जिलाधिकारी, हरिद्वार का मूल पत्रांक 274, दिनांक 24.05.2023**

उपरोक्त विषयक शिकायत पत्र जो श्री नरेश कुमार सह सचिव द्वारा मुख्य सचिव देहरादून को सम्बोधित कर लिखा गया है, उक्त शिकायत पत्र की जांच आख्या संदर्भित पत्र के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त हुई है। जांच आख्या के अनुसारं आम फलदार वृक्षों के सूखाने/काटने का मामला से सम्बन्धित शिकायत है, के क्रम में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड शासन वन एवं पर्यावरण अनुभाग–3 के आदेश संख्या–927/X–3–2012/21(08)2010, दिनांक 30 नवम्बर 2012 से फलदार वृक्षों के पातन हेतु जिला उधान अधिकारी प्राधिकृत है।

अतः विषयक शिकायत पत्र मय संलग्नकों सहित मूल संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि प्रकरण की जांच कर जांच आख्या सम्बन्धित विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

(मयंक शेखर झा)
उप वन संरक्षक,
हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार

पत्रांक 4742/ तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः प्रभारी अधिकारी, (शिकायत), कृते जिलाधिकारी, हरिद्वार को उनके मूल पत्रांक 274/दिनांक 24.05.2024 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(मयंक शेखर झा)
उप वन संरक्षक,
हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार

जॉच हेतु

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद हरिद्वार ।

पत्रांक–शि0प्र0 / एस0एस0पी0 / ओ0बी0नं0– 18/22 (HC/CM) / दिनॉक– 12/4/23

सेवा में,
जिलाधिकारी
जनपद- हरिद्वार

अवगत कराना है कि आवेदक– नरेश कुमार सह सचिव भारत माता अभिनन्दन संगठन, उत्तराखण्ड बहादराबाद हरिद्वार
दिनॉक– 25/5/22 द्वारा प्रेषित शिकायती प्रार्थना–पत्र जॉच कराये जाने विषयक प्राप्त हुआ है। उक्त शिकायती प्रार्थना–पत्र की जॉच क्षेत्राधिकारी / को0 / थाना बहादराबाद ....जनपद हरिद्वार, ने अपनी जॉच आख्या के माध्यम से अवगत कराया है कि उक्त शिकायती प्रार्थना–पत्र का सम्बन्ध राजस्व विभाग ......से है।

अतः उक्त शिकायती प्रार्थना–पत्र इस आशय से आपको प्रेषित किया जा रहा है कि आप सम्बन्धित प्रकरण में अपने स्तर से जॉच / आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित कर, बाद जॉच कृत कार्यवाही, से आवेदक को व इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

प्रभागीय वनाधिकारी हरिद्वार
पंजीकृत सं० 8206
पत्रावली सं० 21-5
दिनांक – 26/05/23

संलग्नकः मूल प्रार्थना–पत्र यथोपरि।
कुल–05 वर्क

कृते वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
जनपद हरिद्वार

संख्या 274/CC दिनांक 24-5-23
सेवा में,
DFO, जिला उद्यान अधिकारी (H)
(H)
कृ0 आ0 का0 करें। कृत कार्यवाही से प्रार्थी एवं कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

प्रभारी अधिकारी (शिकायत)
कृते जिलाधिकारी हरिद्वार

TC
उद्यान
26/05/23

(28)

(44)

कार्यालय क्षेत्राधिकारी ज्वालापुर, जनपद हरिद्वार। पत्रांकः– सीओजे–जांच–शि0प्र0–29/2022
दिनांकः अक्टूबर, 08, 2022।

सेवा में,

पुलिस उपमहानिरीक्षक/
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
जनपद हरिद्वार।

महोदय,

कृपया अपने पत्रांकः शि0प्र0/एसएसपी/जांच/एचसी/सीएम–ओ0बी0नं0–18/2022 दिनांक 25.05.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो आवेदक श्री नरेश कुमार, सह सचिव, भारतमाता अभिन्नदन संगठन, उत्तराखण्ड, बहादराबाद, जनपद हरिद्वार द्वारा प्रेषित शिकायती प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में जांच कर आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

सन्दर्भ– पत्रांकः शि0प्र0/एसएसपी/एचसी–सीएम–ओबीन–18/2022 दिनांक 25.05.2022।

प्रार्थना पत्र प्राप्ति का दिनांक– 25.05.2022।

प्रार्थना पत्र में निस्तारण हेतु पृष्ठांकित समयावधि– 07 दिवस।

आवेदक का नाम व पताः– श्री नरेश कुमार, सह सचिव, भारतमाता अभिन्नदन संगठन, उत्तराखण्ड, बहादराबाद, जनपद हरिद्वार।

विपक्षी का नाम व पता– उद्यान एवं वन विभाग जनपद हरिद्वार।

आरोप का सक्षिप्त विवरण– विपक्षी विभाग की सांठ–गांठ में पेड़ों का काटा जाना।

जांच अधिकारी का नाम व पद–सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी ज्वालापुर जनपद हरिद्वार।

दस्तावेजी/अभिलेखीय साक्ष्य अथवा अन्य साक्ष्य यदि कोई हो– थानाध्यक्ष बहादराबाद, जनपद हरिद्वार से प्राप्त आख्या की छायाप्रति।

जांच का विवरण/निष्कर्षः–

जांच/जानकारी एवं थानाध्यक्ष बहादराबाद, जनपद हरिद्वार के माध्यम से प्राप्त आख्या का अवलोकन करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये हैं कि थाना बहादराबाद क्षेत्रांतर्गत सहारा इण्डिया लि0 की भूमि पर लगे 50 फलदार पेड़ों को दवाई डालकर सुखाकर काटने के सम्बन्ध में आवेदक श्री नरेश कुमार, सह सचिव, भारतमाता अभिन्नदन संगठन, उत्तराखण्ड, बहादराबाद, जनपद हरिद्वार व संलग्न प्रार्थना पत्र में अंकित आवेदक श्री सुनील कुमार चौहान, भारतमाता अभिनन्दन संगठन, उत्तराखण्ड, बहादराबाद, जनपद हरिद्वार द्वारा उद्यान विभाग के ए0डी0ओ0 श्री मासूम अली एवं वन विभाग के विरूद्ध अरोप अंकित किये गये है। प्रकरण अन्य विभाग से सम्बन्धित है, जिसमें सम्बन्धित विभाग से जांच कराया जाना समीचीन प्रतीत होता है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र में वर्तमान समय में अन्य किसी पुलिस कार्रवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं।

अतः आख्या मय मूल संलग्नकों के अवलोकनार्थ हेतु सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नकः यथोपरि।

(रेखा यादव)
सहायक पुलिस अधीक्षक/
क्षेत्राधिकारी ज्वालापुर,
जनपद हरिद्वार।

उद्धरण खसरा

नकल खसरा ग्राम अहादराबाद परगना ज्वालापुर तहसील हरिद्वार जिला हरिद्वार सन् 1429 सन फसली सम्बन्धी

खेत की संख्या	क्षेत्रफल हेक्टेयर या बन्दोबस्ती बीघों में	खतौनी की संख्या	खतौनी के भाग 1 के वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम	खतौनी के भाग 1 के वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम (यदि कोई हो)	सिंचाई का साधन	क्षेत्रफल खरीफ फसल का नाम	खरीफ सिंचित	खरीफ असिंचित	रबी फसल का नाम	रबी सिंचित	रबी असिंचित	जायद फसल का नाम	जायद सिंचित	जायद असिंचित	दो फसली क्षेत्रफल सिंचित	दो फसली क्षेत्रफल असिंचित	अकृषिक भूमि भूमि की श्रेणी	अकृषिक भूमि क्षेत्रफल	खेत के पूरे बढ़े हुए पेड़ों की संख्या	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
286	1.436	55 1.862	चिरायु स्टेट एण्ड डेवलपर प्रा०लि० सहारा इण्डिया प्राईड साफल स्टेट एण्ड रियाल्टी प्रा०लि० सहारा इण्डिया प्राईड दीपिका रियल्टी एण्ड मीडिया प्रा०लि०, सहारा इण्डिया धनन्जय इस्टेट एण्ड रियल्टी प्रा०लि० सहारा इण्डिया प्राईड वेदन्त प्रा०लि० सहारा इण्डिया प्राईवेट इस्टेट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्रा०लि० द्वारा सहारा इण्डिया प्राईवेट धर्मवीर डेवलपमेन्ट एण्ड रियल्टी प्रा०लि० सहारा इण्डिया प्राईवेट दत्तात्रेय इस्टेट एण्ड रियल्टी प्रा०लि० सहारा इण्डिया प्राईवेट द्वारा ए०एस०विहार	—												—	नम्बर	1.862	—	—
319/2	0.620	55	चिरायु स्टेट आदि क्र० नं० 286	—												—			आम 30	—
320	0.236	2	चिरायु स्टेट आदि क्र० नं० 286	—														—	आम 02	—
321	1.[illegible]	55	चिरायु स्टेट आदि क्र० नं० 286	—															आम 30	—

नकल मुताबिक असल के है। प्रमाणित किया।

नकल मुताबिक असल ...

संदीप कुमार
राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र-
तहसील व जिला हरिद्वार